सरकारी गजट, उत्तरॉचल

उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरॉचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21, मई 2003 ई0

बैशाख 31, 1925 शंक सम्वत्

उत्तरॉचल भाासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 174/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 21 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरॉचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को दिनांक 21.05.2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अधिनियम संख्या 05, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाित किया जाता है।

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003

(उत्तरॉचल अधिनियम संख्या 05, वर्ा 2003)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के स्थान पर उत्तरॉचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियों के लिए अधिनियमित भारत गणराज्य के चौवनवें व ा में अधिनियमित–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

धारा 1–संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ –

(1) यह अधिनियम उत्तराचंल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तराचंल राज्य में होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करें ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दिनांक निश्चित करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है, कि घोषणा में निर्दिष्ट किये जाने वाले कोई उपबन्ध इस प्रकार निश्चित दिनांक से प्रचलित न होगें और उस दशा में ऐसे उपबन्ध दिनांक या उन दिनांको से प्रचलित होगें, जो राज्य सरकार उसी प्रकार तदर्थ निश्चित करे।

2. परिभाषायें –जब तक किसी प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित हो, इस अधिनियम में :–

(अ) "सहकारी समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली किसी समिति से है :–

(ब) "प्रारम्भिक समिति" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिए सुलभ न हो :

(ब–1) "ऋण समिति" का तात्पर्य उस समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देनें के लिए निधि एकत्र करना हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि :–

(I) किसी सहकारी क्रय–विक्रय समिति को जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से अधिक जिले के भाग में हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, चाहे उसका साधारण सदस्य कोई अन्य समिति हो या नहीं;

(II) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अध्याय 6 के अधीन क्रय किया है, ऐसा अंश क्रय किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक समिति ही रहेगी ;

(III) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल का संग्रह और अपने साधारण सदस्यों में वितरित करना हो और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य अन्य सहकारी समिति के हों ।

(ब–2) "केन्द्रीय समिति" या "केन्द्रीय सहकारी समिति" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसका साधारण सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो प्रारम्भिक सहकारी समिति न हो ;

(स) "शीर्ष समिति" "शीर्ष स्तर समिति" या "राज्य स्तर सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी समिति से है –

(1)– जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराचंल राज्य में फैला हुआ है,

(2)– जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने से सम्बद्व सदस्य समितियों के मुख्य उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में सहायता देना तथा सुविधायें एंव सेवायें प्रदान करना है तथा,

(3)– जिसे निबन्धक द्वारा शीर्ष समिति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।

(द) "कृषि समिति " का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि करना हो, जिसके अन्तर्गत कृषि फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण या कय–विकय, उद्यानीकरण, चाय की खेती, रेशम के कीडे पालना एंव पशुपालन, जिसके अन्तर्गत शूकर–पालन, मत्स्य सम्बर्द्वन, कुक्कुट पालन और दुग्ध व्यवसाय भी है ।

(य) "मध्यस्थ" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो निबन्धक द्वारा उसका अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो,

(य–1) "मध्यस्थ मण्डल" का तात्पर्य उस निकाय से है, जो निबन्धक द्वारा उसको अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो ।

(र) "उप–विधि" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित उप–विधि से है,

(ल) "सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके समापित होनें की दशा में, उसके ऋणों के लिए उसके प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस समिति की उपविधियों द्वारा सीमित हो ।

(व) "असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके सदस्य, उसके समापित होने की दशा में, उसके समस्त आभारों के लिए तथा समिति की

परिसम्पत्तियों से न्यूनता पाये जाने पर उनमें अंशदान देने के लिए संयुक्त रूप तथा पृथक्–पृथक् उत्तरदायी हो तथा परिसम्पत्तियों की न्यूनता (डेफीसिट) में योगदान करेगें ;

(स) "प्रबन्ध कमेटी" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की ऐसी कमेटी से है चाहे, वह किसी भी नाम से पुकारी जाय, जिसे समिति के कार्यो का प्रबन्ध सौंपा गया हो,

(ष) "सहकारी वर्ष" का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से प्रारम्भ होकर अगले मार्च के इक्तीसवें दिन समाप्त होने वाले वर्ष से है,

(श) "लाभांश" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की अंश–पूंजी में सदस्यों द्वारा धारित अंशो पर, लाभ से दिये जाने वाली उस राशि से है, जिसे अंश–पूंजी के अनुपात में सदस्य को वितरित किया जायेगा ।

(ह) "वित्त पोषक बैंक" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य, सदस्य अथवा अन्य सहकारी समितियों को रूपया उधार देना है, जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934 में परिभाषित अनुसूचित बैंक एंव अन्य निगमित निकाय (Corporate Body) व वित्तीय, संस्थायें सम्मिलित होगी, जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है तथा जो सहकारी समिति को वित्तीय एंव अन्य सहायता प्रदान करती है ।

(ह–1) ''कोआपरेटिव बैंक'' का तात्पर्य उस समिति से है जो बैंकिग, रैगूले ान एक्ट 1949 की धारा 5 (1) (सी सी–1) की उपधारा एक (ख) में परिभाषित बैंकिग व्यवसाय करती हो ।

(ह–2) ''अरबन कोआपरेटिव बैंक'' का तात्पर्य प्राथमिक कृषि ऋण समिति से भिन्न प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक से है ।

(1) जिसका प्रमुख उद्देश्य बैंकिग व्यवसाय करना हो,

(2) जिसकी अंश पूंजी एवं रक्षित निधि एक लाख रूपये से कम न हो।

(3) जिसकी उप विधियों में किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य बनाना अनुमन्य न हो ।

कमांक–1 (क) परिसमापक का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सहकारी समिति के कार्यो को समापित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है ।

(ख) "अधिकतम दायित्व" का तात्पर्य उस अधिकतम धनराशि से है जो किसी सहकारी समिति द्वारा उधार ली जा सकती हो, इसके अन्तर्गत अंश पूंजी नही है ।

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी समिति के निबन्धन के लिए दिये गये प्रार्थना–पत्र में सम्मिलित हुआ, हो अथवा ऐसे व्यक्ति से है जिसे तत्समय प्रचलित अधिनियम नियम

तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे निबन्धन के पश्चात सदस्य बनाया गया हो, किन्तु इस अधिनियम में कही पर भी किसी अधिकार के रखने या उसका प्रयोग करने अथवा किसी दायित्व या कर्तव्य के विद्यमान होने या निर्वहन करने के सम्बन्ध में "सदस्य" के निर्देश के अन्तर्गत सदस्यों के किसी वर्ग का निर्देश न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण ऐसा अधिकार नही रखता या जिसका कोई दायित्व या कर्तव्य न हो ।

(घ) "सहकारी समिति का अधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, चीफ एक्जीक्यूटिव–मैनेजिंग प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, कोषाध्यक्ष,परिसमापक, प्रशासक अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से है, जो पारिश्रमिक पर अथवा बिना पारिश्रमिक के समिति के कार्यो का पर्यवेक्षण तथा निर्देशन करने के लिए चुना गया हो, सहकारी समिति द्वारा नामित किया गया हो अथवा नियोजित किया गया हो ।

(ड.) साधारण सदस्य का तात्पर्य सहकारी समिति के ऐसे सदस्य से है, जिसका इस अधिनियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति के कार्यो में मत देने का अधिकार हो।

(च) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है,

(छ) "निबन्धक" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सहकारी समितियों के निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसे अधिकारियों से भी है जो निबन्धक के सभी या किन्ही अधिकारों का प्रयोग करें ।

(ज) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ।

(झ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तराचंल सरकार से है ।

(प) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संगठित सहकारी न्यायाधिकरण से है ।

(त) ''उत्तराचंल राज्य सहकारी परिषद'' (उत्तराचंल स्टेट कोआपरेटिव काउन्सिल) का तात्पर्य उत्तराचंल राज्य के लिए अध्याय 13 ''क'' में अंकित प्राविधानों के अनुसार गठित परिषद(काउन्सिल) से है ।

अध्याय–2

निबन्धक एंव निबन्धन

3–निबन्धक अन्य अधिकारी तथा उसके अधिकार

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियो का निबन्धक नियुक्त कर सकती है ।

(2) निबन्धन को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य सम्पादन में सहायता देने के लिए राज्य सरकार ऐसी संख्या में अपर निबन्धक, संयुक्त निबन्धक, उप निबन्घक, सहायक निबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों को ऐसे पदनामों से जैसा वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकती है ।

(3) (अ) राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनकी नियुक्ति उप धारा 2 के अन्तर्गत हुई है, को इस अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक के सभी अथवा कोई अधिकार प्रदान कर सकती है ।

(ब) सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति उप धारा (2) के अन्तर्गत हुई है, निबन्धक के सामान्य निर्देशों, अधीक्षण एंव नियंत्रण में कार्य करेगें ।

(स) जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उप धारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय–समय पर यथा संशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझे जायेगें ।

(4) सहकारी समितियां जो निबन्धित की जा सकती हैं –

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्वान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना हो अथवा कोई समिति जो उक्त समिति के कार्य संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो इस अधिनियम के अधीन निबन्धित की जा सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन नहीं किया जायेगा, जो निबन्धक की राय में आर्थिक रूप से सुस्थित (Economically sound) नहीं है, अथवा उसके निबन्धन से किसी अन्य समिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा वह समिति तथा उसके कार्य लोक नीति के विरूद्व हैं।

सहकारिता सिद्वान्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे –

(1) स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता ।

(2) लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण ।

(3) सदस्य की आर्थिक सहभागिता ।

(4) स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता ।

(5) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना ।

(6) सहकारी समितियो के बीच सहयोग ।

(7) समुदाय के लिए चिंता ।

5. सीमित अथवा असीमित दायित्वपूर्ण निबन्धन—

(1) कोई समिति, सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन जिसका कोई साधारण सदस्य दूसरी सहकारी समिति हो सीमित दायित्व वाली समिति के रूप में होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सीमित दायित्व वाली समिति के नाम का अन्तिम शब्द "सीमित" अथवा उसका अंग्रेजी पर्याय (स्पउपजमक) होगा।

6. निबन्धन के लिए प्रार्थना—पत्र —

(1) समिति के निबन्धन के लिए प्रार्थना—पत्र निबन्धक को नियत रीति से ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा, जो निबन्धक समय—समय पर निर्दिष्ट करे, तथा प्रार्थी समिति के सम्बन्ध में उसे ऐसी समस्त सूचना देंगे, जिसकी वह अपेक्षा करे ।

(2) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना—पत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओ की पूर्ति की जायेगी, अर्थात :—

(क) इसके साथ समिति की प्रस्तावित उपविधियों की तीन प्रतियां होंगी ,

(ख) प्रार्थी धारा 17 के अधीन सदस्यता का पात्र होगा,

(ग) प्रार्थना—पत्र पर प्रत्येक ऐसे प्रार्थी के यदि वह व्यक्ति विशेष हो और किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के, यदि प्रार्थी धारा 17 के खण्ड (ख) से (च) तक के किन्ही भी खण्डो में उल्लिखित कोई व्यक्ति हो, यथाविधि हस्ताक्षर होगें ।

(घ) ऐसे प्रार्थियों की संख्या,जिन्हे समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि समस्त प्रार्थी व्यक्ति विशेष हो, तो दस से कम न होगी और अन्य दशाओ मे पांच से कम न होगी ,

(ड.) यदि समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को ऋण देने के लिए निधियों का सृजन करना भी हो तो समस्त प्रार्थी जिन्हे समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि वे व्यक्ति विशेष हों तो एक ही गांव अथवा नगर में अथवा आसन्नवर्ती गांव के समूह में रहते हों अथवा एक ही वर्ग के हों ,

स्प टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही वर्ग का माना जायेगा, यदि वे एक ही व्यवसाय करते हों अथवा एक ही सेवायोजक के अधीन हों ।

7. निबन्धन— (1) यदि निबन्धक का समाधान हो जाय कि —

(क) प्रार्थना—पत्र अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धो के अनुसार है :

(ख) प्रस्तावित सहकारी समिति के उद्देश्य धारा 4 के अनुसार हैं :

(ग) प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं है : तथा

(घ) प्रस्तावित समिति सामान्यतया अथवा समितियों के उस वर्ग के जिस वर्ग की वह विशेष समिति हो, किन्ही शर्तो के विद्यमान होने के सम्बन्ध में नियमों की अपेक्षाओं की तथा संस्थित कारोबार ";वनदक ठनेपदमेद्ध की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है, और उसकी सफलता प्राप्त करने की समुचित सम्भावनायें हैं , तो निबन्धक समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक यदि प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो महीने के भीतर समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबन्धन करने से इन्कार करने का अन्तिम आदेश नही देता तो प्रार्थी उस प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकता है, जो किसी समिति को निबद्ध करने से इन्कार करने के निबन्धक के आदेशो के विरूद्ध धारा 98 के अधीन अपील सुनने के लिए सक्षम हो और यदि ऐसा प्राधिकारी निबन्धक से रिपोर्ट मांगने के पश्चात समिति का निबन्धन करने के लिए आदेश दे तो समिति निबन्धक को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से यथाविधि निबद्ध की गई समझी जायेगी।

(2) यदि निबन्धक किसी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा जो प्रार्थना–पत्र में इस प्रयोजनार्थ नामांकित हो तथा ऐसे नामांकन के अभाव में प्रार्थियों में से एक को संसूचित करेगा।

8–निबन्धन प्रमाण–पत्र –

(1) यदि कोई समिति, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित हो अथवा धारा 7 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निबन्धित समझी जाय, तो निबन्धक अपने हस्ताक्षरयुक्त निबन्धन प्रमाण–पत्र जारी करेगा । जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि निबन्धन रद्द कर दिया गया है, तब तक उक्त प्रमाण–पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण–पत्र होगा कि उसमे उल्लिखित समिति इस अधिनियम के अधीन यथाविधि निबन्धित सहकारी समिति है ।

(2) कोई व्यक्ति या समिति किसी सहकारी समिति के नाम से या अपने को सहकारी समिति व्यक्त करते हुए तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक समिति के लिए उपधारा (1) के अधीन निबन्धन प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति या समिति का सदस्य जो इस उपधारा का उल्लघंन करके कारोबार करे, उक्त कारोबार में उपगत समस्त दायित्वों का व्यक्तिगत रूप में भागी होगा ।

9– सहकारी समितियां निगमित निकाय होंगी –

निबन्धन हो जाने से समिति उसी नाम से जिससे वह निबन्धित हुई हो, निगमित निकाय हो जायेगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा सामान्य मुद्रा होगी । उनका सम्पत्ति धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विभिन्न कार्यवाहियां संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने और जिस प्रयोजन के लिए वह संगटित हों, उसके लिए आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार होगा ।

सहकारी समिति का नाम परिवर्तन–

(1) सहकारी समिति अपनी उपविधियों का संशोधन करके अपना नाम परिवर्तित कर सकती है ।

(2) यदि सहकारी समिति अपना नाम परिवर्तित करती है, तो निबन्धक सहकारी समितियों के रजिस्टर में पहले नाम के स्थान पर नया नाम दर्ज करेगा तथा निबन्धन प्रमाण–पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा ।

(3) सहकारी समिति के नाम परिवर्तन से न तो समिति या उसके किन्हीं सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों अथवा यदि उनमें से कोई मृत हो तो उसके दायादों के अधिकारो या दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा और न सहकारी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जायेगी, तथा कोई विधिक कार्यवाही जो समिति द्वारा या उसके विरूद्ध उसके पहले के नाम से जारी रखी गयी हो या आरम्भ की गयी हो, उसके नये नाम से जारी रखी या आरम्भ की जा सकती है ।

11.दायित्व में परिवर्तन –

(1) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहकारी समिति, अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयती में परिवर्तन कर सकती है ।

(2) यदि सहकारी समिति ने अपने दायित्वो के स्वरूप या उनकी आयति में परिवर्तन करने के लिए संकल्प पारित किया हो तो वह उसको लिखित नोटिस अपने सभी सदस्यों और ऋणदाताओं को देगी तथा किसी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुए भी, किसी सदस्य या ऋणदाता को उस पर नोटिस तामील होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर धारा 41 के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, यथास्थिति अपने अंशो, जमा की गयी धनराशि या ऋणों को वापस लेने का विकल्प प्राप्त होगा ।

(3) किसी ऐसे सदस्य या ऋणदाता के सम्बन्ध में, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग न करे, यह समझा जायेगा कि उसने परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है।

(4) किसी सहकारी समिति की उपविधियों का ऐसा संशोधन जिसके द्वारा उसके दायित्व के स्वरूप या उसकी आयति में परिवर्तन किया गया हो, उस समय तक निबन्धित नहीं किया जायेगा जब तक कि –

(क) उसके लिए समस्त सदस्यों तथा ऋणदाताओं की सहमति प्राप्त न हो जाय या प्राप्त हुई न समझी जाय अथवा

(ख) ऐसे सदस्यों तथा ऋणदाताओं के समस्त दावों की पूर्ति जो उपधारा (2)में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर करे, पूरी तौर से न कर दी गई हो।

12. सहकारी समितिकी उपविधियों का संशोधन –

(1) सहकारी समिति इस अधिनियम तथा नियमो के उपबन्धो के अधीन रहते हुए नियम रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय ।

(2) उपविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव निबन्धक के पास भेजा जायेगा और यदि निबन्धक का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन–

(1) अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है, तथा

(2) अधिनियम या नियमों के अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है,तो वह संशोधन को निबन्धित कर सकता है ।

(3) यदि निबन्धक किसी सहकारी समिति की उपविधियों के संशोधन को निबन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित समिति को संसूचित करेगा।

13. उपविधियों के संशोधन कब प्रचलित होंगे :—

यदि यह अभिव्यक्त हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का कोई संशोधन निबन्धन के पश्चात् किसी विशेष दिनांक से प्रवर्ती होगा तो वह उसी दिनांक से प्रचलित होगा, किन्तु अन्य सब दशाओं में उस दिनांक से प्रचलित होगा जब वह निबन्धित हुआ हो ।

14. उपविधियों में संशोधन करने का निर्देश देने का अधिकार :–

(1) यदि सहकारी समिति के किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर या अन्यथा निबन्धक की राय यह हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन उक्त समिति के हित में अथवा सार्वजनिक हित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जायें,रजिस्ट्री डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके, समिति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे, जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करे ।

(2) यदि समिति निर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन न करे तो निबन्धक समिति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे संशोधन को निबन्धित कर सकता है तथा समिति को रजिस्ट्री डाक द्वारा संशोधन की एक प्रति जो उसके द्वारा एक प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई हो, भेज सकता है तथा उक्त प्रति इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगी कि संशोधन यथाविधि किया गया है और निबन्धित कर दिया गया है तथा इसके विरूद्ध अपील यदि कोई की गयी है, के अधीन समिति एवं उसके सदस्यों पर लागू होगा।

15. सहकारी समितियों का समामेलन और विलयन –

(1) निबन्धक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात कोई दो या अधिक सहकारी समितियां इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई अपनी अपनी साधारण सामान्य बैठक में, जिसके लिए उनके सदस्यों को कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा,उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से एक समिति में समामेलित ;ंउंसहंउंजमद्ध होने का या उनमें से किसी एक में विलीन होने का संकल्प कर सकती हैं । ऐसे संकल्प(जिसे आगे प्रारम्भिक संकल्प कहा गया है) में यथास्थिति समामेलन या विलयन के समस्त ब्यौरे होंगे जिनके अन्तर्गत समामेलन की दशा में नयी समिति को और विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति को उसकी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का संक्रमण और ऐसी समिति की उपविधियां भी हैं ।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी बैठक का नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों को दिया जायेगा, और प्रारम्भिक संकल्प की प्रतियां ऐसी समितियों के सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेंगी, अर्थातः–

(क) लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा या

(ख) जिस व्यक्ति ने खण्ड (क) के अधीन लिखित रूप में प्राप्ति अभिस्वीकृत की हो उसका अपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के अभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण–पत्र के

अधीन डाक द्वारा, और किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसका समिति के कार्यक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी ।

(3) (i) ऐसी समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल कोई उपविधि होने पर भी उपधारा (2) के खन्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति उक्त उपधारा के खन्ड (ख) के अधीन किसी समाचार पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर नोटिस द्वारा उस समिति की जिसका वह सदस्य हो, समामेलन की दशा में नयी समिति का सदस्य न बनने अथवा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति का सदस्य न होने या न रहने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(ii) ऐसी किसी समिति का कोई ऋणदाता इसके प्रतिकूल कोई अनुबन्ध होते हुए भी उस समिति को, जिसका वह ऋणदाता हो, उक्त अवधि के भीतर नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है ।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत होने के पश्चात उन समितियों के सदस्यों की संयुक्त बैठक, जिसके लिए उन्हें कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए बुलाई जायेगी । यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जो निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगी) महत्वपूर्ण न हो, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाये तो वह –

(1) समामेलन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नयी समिति और उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा तथा

(2) विलयन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पर अपनी स्वीकृति देगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद ''सदस्यों'' के अन्तर्गत सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधि ;क्मसमहंजमेद्ध भी होंगे जो तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए चुने गये हों ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय अन्य संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायेगी :

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान जिन्होने उपधारा (3) के खण्ड (I) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होने उपधारा (3)के खण्ड (2)के अधीन नोटिस दिया हो ।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर, जिसे निबन्धक उचित समझे, उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान, अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो निबन्धक नई समिति को यथास्थिति, निबन्धित करने या विलीन करने की स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है ।

(7) उपधारा (4) के अधीन नई समिति के निबन्धन अथवा विलयन की स्वीकृति, यथास्थिति, समामेलित समितियों अथवा विलीन समिति या समितियों की समस्त परिसम्पत्तियों अथवा दायित्वों के समामेलन की दशा में नई समिति में तथा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति में निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कोई बात हो और यथास्थिति, नई समिति के इस प्रकार निबन्धित किये जाने या विलीन करने की स्वीकृति दी जाने पर, समामेलित समितियों या उस समिति अथवा उन समितियों का जिसे या जिन्हें अन्य समिति में विलीन कर दिया गया हो, निबन्धन रद्द कर दिया गया समझा जायेगा ।

16– सहकारी समितियों का विभाजन –

(1) कोई सहकारी समिति, निबन्धक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात किसी ऐसी सामान्य बैठक में, जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई हो और जिसके लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस उसके सदस्यों को दिया जायेगा, अपने को दो या अधिक समितियों में विभाजित करने का संकल्प कर सकती है। इस संकल्प में (जिसे आगे इस धारा में प्रारम्भिक ''संकल्प'' कहा गया है) समिति की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के उन नयी समितियों में विभाजित करने के प्रस्ताव समाविष्ट होंगे जिनमें उसे विभाजित करने का प्रस्ताव हो और उसमें प्रत्येक नई समिति का कार्यक्षेत्र नियत किया जा सकता है और उसे संगटित करने वाले सदस्यों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या ऐसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, इस धारा में निर्दिष्ट किसी बैठक का नोटिस समिति के सदस्यों को दिया जायगा और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों और ऋणदाताओं पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी ।

(3) (i) समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल किसी उपविधि के होते हुए भी (धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जैसा कि वह इस धारा को उपधारा (2) के आधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से , यथास्थिति उसके खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से , 30 दिन की अवधि के भीतर) समिति को नोटिस द्वारा किसी भी नई समिति के द्वारा समिति का सदस्य न बनने के लिए अपने विचार की सूचना दे सकता है ।

(ii) समिति का कोई ऋणदाता, इसके प्रतिकूल किसी अनुबन्ध के होते हुए भी, उक्त अवधि के भीतर समिति को नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि वापस मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है ।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के, व्यतीत होने के पश्चात् प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए एक सामान्य बैठक बुलायी जायगी, जिसके लिए उसके सदस्यों को कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा । यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगा), महत्वपूर्ण न हों, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय, तो वह उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नयी समितियों और उनकी उपविधियों को निबन्धित करेगा । इस निबन्धन के पश्चात् पुरानी समिति का निबन्धन रदद कर दिया गया समझा जायेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय दूसरे संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायेगी :

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन समस्त सदस्यों की अंश–पूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (1) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (।।) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर जो निबन्धक उचित समझे उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है तो निबन्धक नयी समितियों को निबन्धित करने से इन्कार कर सकता है ।

(7) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,नयी समितियों का निबन्धन मूल समिति की समस्त परिसम्पत्तियों और दायित्वों का नयी समितियों में उपधारा (4) के

अधीन पुष्टीकृत प्रारम्भिक संकल्प में निर्दिष्ट रीति से निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा ।

16—(क). सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन का निर्देश देने का निबन्धक का प्राधिकार :—

(1) यदि निबन्धक की यह राय हो कि दो या अधिक सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन उनकी शक्ति या उपयोगिता बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछनीय है तो वह, इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी , उस वित्त पोषक बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समितियां ऋणी हैं, ऐसी समितियों को एक ही समिति में ऐसे समय के भीतर जिसे वह निर्दिष्ट करे, समामेलित या विलीन होने का लिखित आदेश दे सकता है और तदुपरान्त समितियां ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेंगी जो धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समितियों के समामेलन या विलीन न होने पर निबन्धक लिखित आदेश द्वारा समितियों को एक समिति में समामेलित या विलीन होने का निर्देश दे सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश धारा 15 की उपधारा (2) तथा (3) के प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध समितियों का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो इस धारा के द्वारा अपेक्षित हों ।

(4) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार—पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समितियों की निधियों से, धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 15 की उपधारा (3) के क्रमशः खण्ड (1) और (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त समितियों के यथास्थिति समामेलन या विलयन की घोषणा करेगा तथा समामेलन की दशा में इस प्रकार की बनी नयी समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन विलयन या नयी समिति के निबन्धन की घोषणा से धारा 15 के अधीन विलयन या निबन्धन समझा जायेगा और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे ।

16 (ख). किसी सहकारी समिति को दो या अधिक सहकारी समितियों के विभाजित करने का निर्देश देने का निबन्धक का अधिकार :–

(1) यदि निबन्धक की यह राय हो कि लोकहित में या सहकारिता आन्दोलन के हित में यह आवश्यक है या सहकारी समिति के अच्छे प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए यह वांछनीय है कि दो या अधिक समितियां बनाई जाने के लिए किसी सहकारी समिति का विभाजन किया जाना चाहिये या वह इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी , उस वित्तपोषण बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समिति ऋणी है,ऐसी समिति का दो या अधिक समितियों में ऐसे संघटनों, परिसम्पत्तियों, दायित्वों, अधिकारों कर्तव्यों और आभारों के साथ जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें विभाजित होने का लिखित आदेश दे सकता है और तदुपरान्त उक्त समिति ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेगी जो धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समिति का विभाजन न होने पर निबन्धक लिखित आदेश द्वारा समिति को दो या अधिक समितियों में विभाजित होने का निर्देश दे सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश धारा 16 के लिए सम्बद्ध समिति का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा, और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो उस धारा द्वारा अपेक्षित हों ।

(4) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार–पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समिति की निधियों से धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 16 की उपधारा (3) के क्रमशः (1) या (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त नयी समितियों तथा उनकी उपविधियों को निबन्धित करेगा । इस प्रकार निबन्धन हो जाने पर पुरानी समिति का निबन्धन रद्द किया समझा जायेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन सभी समितियों का निबन्धन, धारा 16 के अधीन निबन्धन समझा जायेगा, और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उन पर प्रवृत्त होंगे ।

अध्याय – 3

सहकारी समितियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व

17– सहकारी समिति के कौन सदस्य हो सकते हैं :–

(1) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्:–

(क) धारा 18 की उपधारा (3) धारा 80 तथा धारा 81 की उपधारा (2) तथा स्कूल, कालेज तथा यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लाभार्थ बनाई समिति में सदस्यता के लिए की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (Indian Contract Act. 1872) के अनुसार संविदा करने के लिए अर्ह हो।

(ख) अन्य कोई सहकारी समिति ;

(ग) राज्य सरकार ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ;

(ड.) वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट , 1962 (ऐक्ट सं0 58 , 1963) के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला राज्य गोदाम (वेयर हाउसिंग कारपोरेशन),

(च) भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म :

(छ) कोई निगमित निकाय, जो किसी अन्य खण्ड के अर्न्तगत न आता हो अथवा निबन्धक ने सामान्य रूप से सहकारी समितियों की या किसी विशेष समिति अथवा समितियों के वर्ग की नाममात्र या साधारण सदस्यता के लिए इस आधार पर अनुमोदित किया गया हो कि वह ऐसी समितियों के अथवा ऐसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के विकास के लिए उपयोगी है ।

(ज) स्वयं सहायता समूह जो नाबार्ड (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डवलपमैन्ट) द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करते हों ।

(झ) विद्यार्थियों के हितार्थ गठित की गई सहकारी समितियों में सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई संयुक्त स्कन्ध समवाय (Joint Stock Company) या व्यक्ति ऐसी सहकारी समिति या समितियों अथवा समितियों के वर्ग में जो नियत किया जाये, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा ।

18– सदस्यों के वर्ग–

(1) सहकारी समिति में साधारण सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के सदस्य हो सकते हैं:

(क) नाम मात्र सदस्य

(ख) सम्बद्ध सदस्य

(2) (क) वह व्यक्ति जिसके साथ सहकारी समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो, नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता हैः

(ख) नाममात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा,और न वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता का पात्र होगा ।

(3) (क) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अव्यस्क भी है जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थाई कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है :

(ख) सम्बद्ध सदस्य प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा ।

(4) इस धारा में या इस अधिनियम में अन्यत्र की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए नाममात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को सदस्य के ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे और वह सदस्य के ऐसे दायित्वों का भागी होगा जो समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किये जायें ।

19— सदस्य उस समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि देय का भुगतान न कर दिया जाय —

सहकारी समिति का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो समिति के नियमों अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हो ।

20— सदस्यों के मत :—

सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि —

(क) नाममात्र तथा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा,

(क—क) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा यदि—

(प) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है या

(पप) वह ऐसी बाकीदार समिति का जैसा कि उपखण्ड (I) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है ।

स्पष्टीकरण–

(1) इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द 'बाकीदार' का तात्पर्य–

(I) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो।

(II) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो ।

(2) समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो जिसमें देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ शब्द 'देय दिनांक' का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से 6 मास की समाप्ति का दिनांक होगा ।

(3) किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा यदि वह उस धनराशि का जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो –

(एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूची के विरूद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिए नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व,

(दो) किसी अन्य दशा में बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे ।

ख– यदि कोई सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति की सदस्य हो, तो ऐसी सहकारी समिति राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को , जो (नियत रीति से) ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा ।

ग– यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नाम निर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा, और

घ– नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के कार्यो में प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो।

21– मतदान की रीति –

प्रत्येक व्यक्ति, विशेष सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी ।

22– अंश धारण करने पर निर्बन्धन – व्यक्ति विशेष सदस्य –

(क) न तो समिति की कुल अंश पूंजी के ऐसे भाग से , जो उसके 1 /5 से अधिक न हो और जो नियत किया जाये, अधिक धारित करेगा और

(ख) न (ऐसी धनराशि जो नियत की जाय) अधिक अंकित (Nominal) मूल्य के अंशों में कोई हित रखेगा और न उसमें किसी हित का दावा करेगा ।

23— अंश या हित के संक्रमण पर निर्बन्धन —

(1) किसी सहकारी समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण धारा 22 में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा सम्बन्धी शर्तों और निर्बन्धन के अधीन होगा

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में अपने अंश या हित का संक्रमण वैध न होगा, यदि —

(क) सदस्य ने वह अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारित न किया हो,

(ख) संक्रमण, समिति या समिति के किसी सदस्य के पक्ष में न किया गया हो या

(ग) संक्रमण का अनुमोदन समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा न किया गया हो ।

(3) उपधारा (2) में किसी वाद के होते हुए भी सहकारी समिति , ऐसी शर्तो के रहते हुए जो नियत की जाय, समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण, अर्जन अथवा उसे वापस करने की अनुज्ञा दे सकती है ।

24— किसी सदस्य की मृत्यु होने पर हित का संक्रमण—

(1) सहकारी समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति, मृत सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करेगी जो नियत रीति से नाम निर्दिष्ट न किये गये हों , अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को करेगी जो प्रबन्ध कमेटी को मृत सदस्य का दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा संक्रमण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, यथास्थिति, ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति का सदस्य न बना लिया जाये।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी , यथास्थिति कोई ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति से इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसे मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का, जो नियत रूप से निर्धारित किया गया हो, भुगतान करे और समिति दायित्व के बने रहने के लिए धारा 25 में व्यवस्थित अवधि के व्यतीत हो जाने के 3 माह के भीतर देय राशि का भुगतान कर देगी ।

(3) सहकारी समिति ऐसी अन्य समस्त धनराशियों का भुगतान, जो समिति द्वारा मृत सदस्य को देय पायी जाय , यथास्थिति , नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा प्रतिनिधि को करेगी ।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सहकारी समिति के द्वारा किये गये सम्पूर्ण संक्रमण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति से की गई किसी मांग के विरूद्ध भी बैध और प्रभावशाली होंगे ।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां की हुई किसी बात का अधिकार सम्पन्न दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे इस धारा के अधीन कोई संकल्प या भुगतान किया गया हो।

(5) उपधारा (2) और (3) की किसी बात का इस अधिनियम के अधीन समिति के मृत सदस्यों के विरूद्ध अपने अवशिष्ट दावों की मृत सदस्य को देय अंश अथवा हित के मूल्य या अन्य धनराशियों से वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

25– भूतपूर्व सदस्य की और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व –

(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति के ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी मृत सदस्य की सम्पदा का, समिति के ऐसे ऋणों के लिए दायित्व जो–

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस दिनांक को, जब वह सदस्य ही न रह गया हो,और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु के दिनांक को विद्यमान थे, उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए बना रहेगा ।

(2) यदि धारा 72 के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया जाये, तो ऐसे भूतपूर्व सदस्य का या ऐसे मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व जो समापन आदेश के दिनांक के पूर्व दो वर्ष के भीतर, यथास्थिति, सदस्य न रह गया हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी न हो जाये, किन्तु ऐसा दायित्व समिति के केवल उन ऋणों के सम्बन्ध में होगा जो यथास्थिति, उसके सदस्य न रह जाने या मृत्यु हो जाने के दिनांक को विद्यमान थे ।

26– सदस्य बनाना अथवा सदस्यता छोड़ना –

(1) इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है ।

(2) यदि किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाना अस्वीकार कर दिया जाए तो अस्वीकार करने के निर्णय की संसूंचना समिति द्वारा उस व्यक्ति को निर्णय के दिनांक से सात दिन के भीतर दे दी जायेगी ।

(3) सहकारी समिति का कोई सदस्य, यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभूत न हो, समिति को कम से कम एक माह का नोटिस देने के बाद समिति की सदस्यता

छोड़ सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कम से कम इतनी न्यूनतम अवधि तक, यदि कोई हो, सदस्य रहा हो, जो समिति की उपविधियों में निर्धारित की जाय और जिनमें छः महीने तक की अवधि के नोटिस की भी व्यवस्था की जा सकती है । सदस्यता छोड़ देने के नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अंशों के सम्बन्ध में, जो नियत रीति से सुनिश्चित किये गये हों, समिति द्वारा उसे देय धनराशियों की वापसी का हकदार होगा ।

26– (क) प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के लिए सर्वव्यापी सदस्यता –

(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन सदस्य बनाये जाने के लिये अर्ह है और किसी प्रारम्भिक ऋण समिति की सदस्यता के लिए नियत रीति से प्रार्थना–पत्र देता है तो यह समझा जायेगा कि वह समिति के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना–पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से ऐसी समिति का सदस्य बनाया गया है ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति के सदस्य बनाये जाने के दिनांक के पश्चात किसी समय यह पता लगे कि संबद्ध व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन ऐसी समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है, तो निबन्धक इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी, ऐसा पता लगने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या तो स्वतः या सम्बद्ध समिति के प्रार्थना –पत्र पर ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का नोटिस दे सकता है कि उसे समिति की सदस्यता से क्यों न हटा दिया जाये, और ऐसा व्यक्ति निबन्धक के इस निमित्त दिये गये आदेश पर, आदेश के दिनांक से,ऐसी समिति का सदस्य न रह जायेगा ।

27–सदस्य या समिति का निबन्धक द्वारा हटाना या निकाला जाना –

(1) सहकारी समिति, संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को, अपनी सदस्यता से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे कारणों से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, हटा या निकाल सकती है ।

(2) निबन्धक भी किसी व्यक्ति को सहकारी समिति की सदस्यता से हटा या निकाल सकता है:–

(क) यदि वह व्यक्ति सदस्यता के लिए अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या वह इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के अधीन सदस्य होने के लिए अनर्हित हो जाय, और सहकारी समिति उस दशा में भी जब निबन्धक द्वारा लिखित आदेश देकर अपेक्षा की जाय, उसे उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार निबन्धक के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर न हटाये या निकाले, या

(ख) यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प और उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को उन कारणों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर उसे हटाने या निकालने का प्रस्ताव हो, सुनवाई के लिए समुचित अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प या उपधारा (2) के अधीन आदेश का, यथास्थिति, संकल्प या आदेश के विरूद्ध अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए, उक्त संकल्प या आदेश की प्राप्ति के दिनांक से यह प्रभाव होगा कि इस प्रकार हटाये गये या निकाले गये सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, किन्तु इसका इस अधिनियम, तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन भूतपूर्व सदस्य के रूप में उसके अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा(2) के अधीन निकाला गया सहकारी समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक उक्त समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिए खड़े होने का भी पात्र नहीं होगा ।

अध्याय – 4

समितियों का प्रबन्ध

28– सहकारी समिति में अन्तिम प्राधिकार –

इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हए किसी सहकारी समिति का अन्तिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि उन परिस्थितियों में जो नियत की जाय (अन्तिम प्राधिकार ऐसे सदस्यों के नियत रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत प्रतिनिधियों में निहित होगा) और उस दशा में इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में सामान्य निकाय तथा सामान्य बैठक के निर्देश उस निकाय के प्रति जो सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो तथा ऐसे प्रतिनिधियों की सामान्य बैठक के निर्देश समझे जायेंगे ।

29–प्रबन्ध कमेटी–

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार संगठित प्रबन्ध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें ।

(2) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पॉच वर्ष होगा और कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सह–विस्तारी होगा ।

(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए निर्वाचन नियमावली में वर्णित प्रक्रिया से संचालित कराया जाये । निबंधक के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 4 माह पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा 2 के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे, यदि किसी कारण वश प्रबन्ध समिति कार्यकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व से निर्वाचन कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करती है तो निबन्धक का दायित्व होगा कि वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन करा दे ।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) सचिव या प्रबन्ध निदेशक जिस नाम से भी हों का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व निबन्धक को निर्वाचन कराने के लिए अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाय ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजें।

(5) (क) जहां किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नही हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियो में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी ,ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी ।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात, यथाशीघ्र, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में ‘कमेटी’ कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय–समय पर, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाये वहां उसमें एक सभापति और पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनमें कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवक होगा ।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उनका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान,ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जाये ।

(ड.) जब तक खण्ड (ख) के अधीन ,यथास्थिति ,किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय, तब तक ,यथास्थिति, समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव), सचिव या प्रबन्ध निदेशक कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण– जहां बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों, या घोषित न किये जा सकें हों, वहां यह समझा जायेगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अन्तर्गत नहीं हुआ है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, किसी निदेश के अधीन रहते हुये, जिसे निबन्धक समय–समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायेगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा ।

(7) उपधारा (5) के अधीन नियक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी , यथाशीघ्र , किन्तु नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व यथास्थिति , प्रशासक या कमेटी से समिति का प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाये, जैसा कि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहां एक वर्ष की अवधि की गणना,यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी को मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी ।

30–सभापति –

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उप–सभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(2) सभापति उपस्थित रहने पर :

(अ) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(ब) किसी मामले में प्रबंध कमेटी एवं सामान्य निकाय में निर्णय के समय बराबर मत होने की दशा में एक और मत देने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम , नियमावली,,

उपविधियों एवं प्रबंध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

(3) उप–सभापति, नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए, सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये जायें :

(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में उप–सभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति यथाविधि निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट न हो जाये ।

30(क)– सभापति या उप'सभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव –

(1) सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नियत व्यवस्था के अनुसार लाया और चलाया जा सकेगा ।

(2) जब सभापति या उप–सभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से वह अपना पद छोड़ देगा और उसका स्थान नियत व्यवस्था के अनुसार उसी बैठक में उसके स्थान पर चुने गये प्रतिस्थानी द्वारा ले लिया जायेगा ।

31– मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) एवं उसकी उपलब्धियां और कृत्य–

(1) प्रत्येक सहकारी समिति में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) होगा, जिसका पदनाम प्राइमरी कृषि ऋण समिति में सचिव तथा जनपद स्तर के नीचे स्थित केन्द्रीय समितियों एवं गैर कृषि ऋण प्राइमरी समितियों में सचिव, प्रबंधक या सामान्य प्रबन्धक तथा जनपद स्तरीय केन्द्रीय सहकारी समितियों में सामान्य प्रबन्धक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) एवं शीर्ष सहकारी समितियों में प्रबन्ध निदेशक होगा । शीर्ष समिति के प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) चाहे जिस पद नाम से हों (सचिव प्रबंधक, सामान्य प्रबन्धक या चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर) नियमों एवं धारा 121 और 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और हटाया जा सकेगा । मुख्य कार्यपालक अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों और विनियमों में नियत की जायें ।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहकारी समितियों के किसी वर्ग के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव–सचिव आदि) के पद के लिए सर्व सामान्य सेवा का सृजन धारा 122 (क) के अधीन किया गया हो, वहां पर ऐसे पदों पर भर्ती, नियुक्ति और उन पर नियुक्त व्यक्तियों, जिसमें ऐसी सेवा के सृजन के पूर्व ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, को हटाने और उनकी सेवा की अन्य शर्ते उक्त धारा के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगी ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के अधिकार एवं कर्तव्य (शीर्ष समिति को छोड़कर)–

समितियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) (शीर्ष समिति को छोड़कर) निम्नांकित अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे :

(क)समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा,

(ख)समिति की उप–विधियो के एवं प्रबंध–कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों का परिचालन करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबंध करेगा :

(ग)समिति की ओर से उसके लिये सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा,

(घ)समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों तथा उप–विधियों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा,

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध–कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप–समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा,

(छ) प्रबंध कमेटी को योजनाओं, उददेश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा,

(ज) नियमों एवं विनियमों के अधीन समिति के पदों पर नियुक्ति करेगा ।

(झ) प्रबंध कमेटी को नियतकालिक सूचनायें समिति के परिचालन एवं कार्यो के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा।

(य) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा समिति की उप–विधियों एवं प्रबंध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा उन पर आरोपित या प्रदत्त किये जायें।

(3) कोई सहकारी समिति, नियमों,उपविधियों और धारा 121, 122 या धारा 122 (क) के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) की सहायता के लिए यदि आवश्यक हो, एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है और

उसे या उन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के ऐसे अधिकार तथा कर्तव्य सौंप सकती है जो वह (समिति) उचित समझे ।

(4) किसी सहकारी समिति के निबद्ध हो जाने के पश्चात् और ऐसे समय तक जब तक कि उपधारा (1) के अधीन उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) की नियुक्ति न हो जाये अथवा 6 महीने तक, जो भी पहले हो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन समिति के ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसकी व्यवस्था नियमों तथा समिति की उपविधियों में की जाये ।

31(क) – शीर्ष समितियों के लिए प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति –

(1) प्रत्येक शीर्ष समिति के लिए एक प्रबन्ध–निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रथम श्रेणी सहकारी सेवा का अधिकारी अथवा सम्बन्धित विभाग का श्रेणी एक से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा , उसकी सेवाएं समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझी जायेंगी। शीर्ष सहकारी बैंक में अनुभवी बैंक अधिकारी भी प्रबन्ध निदेशक हो सकेगा ।

(2) प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा ।

(3) प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उसका निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा अर्थात:

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा । मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिनियम, नियमावली, उपविधियों तथा प्रबंध समिति के निर्णयों के अनुरूप कार्य करेगा ।

(ख) समिति की उप–विधियों एवं प्रबन्ध–कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों का परिचालन करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबंध करेगा :

(ग) समिति की ओर से उसके लिये सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा,

(घ) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों तथा उप–विधियों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा ,

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध–कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप–समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा ।

(छ) प्रबंध कमेटी को योजनाओं, उद्देश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा,

(ज) नियमों एवं विनियमों के अधीन समिति के पदों पर नियुक्ति करेगा ।

(झ) प्रबंध कमेटी को नियतकालिक सूचनायें समिति के परिचालन एवं कार्यो के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा।

(प) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाकी और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना,

(फ) वचन–पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परक्राम्य संलेख का पृष्ठांकन , हस्ताक्षर तथा परक्रमण करना ।

(ब) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध–पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना ।

(भ) समिति के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुये तीन मास की अवधि के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्त प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है,

(म) समिति के कर्मचारी के अधिकार ,कर्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना,

(य) समिति द्वारा या उसके विरूद्ध या अन्यथा समिति के मामलों के सम्बंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रशमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरूद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना,

(र) ऐसे विनियमों से, यदि कोई हो जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये, के अधीन रहते हुए, बातचीत करना और निर्माण कार्य के दौरान 10 लाख रू0 तक की प्रत्येक और उसके पश्चात 5 लाख रू0 तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना ,

(ल) अपना अन्तिम नियन्त्रण और प्राधिकार रखते हुए, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार या विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना ,

(व) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा समिति की उप–विधियों एवं प्रबन्ध–कमेटी के प्रस्तावों द्वारा उस पर आरोपित या प्रदत्त किये जायें ।

32– वार्षिक सामान्य बैठक –

(1) सहकारी समिति के सामान्य निकाय की एक बैठक (जिसे आगे वार्षिक सामान्य बैठक कहा गया है) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहकारी वर्ष में ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाये, एक बार होगी:–

(क) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के तैयार किये गये समिति के कार्यकलाप का अनुमोदन ,

(ख) नियमों और समिति की उपविधियों के (उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो),

(ग) गत सहकारी वर्ष के रोकड़–पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा–परीक्षा पूरी न हुई हो,

(घ) गत सहकारी वर्ष के लेखा–परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर नियत रीति से विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा–परीक्षा पूरी न हुई हो,

(ड.) आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना,

(च) शुद्ध लाभ का निस्तारण,

(छ) आगाम सहकारी वर्ष के बजट पर विचार, और

(ज) ऐसी किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाये।

(2) धारा 31 में किसी बात के होते हुये भी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध कमेटी के सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि, प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है ।

33— अन्य सामान्य बैठक :—

(1) प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति के कार्य सम्पादन के लिए जब–जब आवश्यक हो , समिति की सामान्य बैठक (जिसे साधारण बैठक कहा जाये) बुला सकती है ।

(2) प्रबन्ध कमेटी निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय में कम से कम 1 /5 सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक (जिसे असाधारण बैठक कहा जायेगा) बुलायेगी । प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को स्थान अथवा समय पर जिसका वह निदेश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा ।

34— प्रबन्ध कमेटी में सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति :—

(1) यदि राज्य सरकार ने–

(क) अध्याय 6 के अधीन किसी सहकारी समिति की अंशपूजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसा कि अध्याय 6 में की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया गया हो या किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो या किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार को ऐसी समिति प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम–निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिसमें से एक सरकारी सेवक होगा, जिसमें पेशेवर (Professional) भी सम्मिलित हो सकता है यदि राज्य सरकार उसे नामित करे, किन्तु सरकारी सेवक या पेशेवर समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत नहीं देगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई समिति चीनी उत्पादन में लगी हो, और–

एक– राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंशपूंजी एक करोड़ रूपये से कम न हो, या

दो– समिति की अंशपूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक हो, या

तीन– राज्य सरकार से समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जिसकी कुल धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल धनराशि के योग के पचास प्रतिशत से अधिक हो,

वहां राज्य सरकार को ऐसी समितियों की प्रबन्ध कमेटी या सभापति , जो कि एक सरकारी सेवक होगा नाम निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा,

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सरकार के प्रसाद–पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम–निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किसी ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति समझी जायेगी ।

35– प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण व निलम्बन–

(1) यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है अथवा उपेक्षा करती है, अथवा कोई ऐसा कार्य करती है जो समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो, या अन्यथा समुचित रीति से कार्य नहीं करती है तो निबन्धक कमेटी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात और नियत रीति से उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई गई सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश देकर प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर सकता हैः

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करते समय, निबन्धक की यह राय हो कि कार्यवाही की अवधि में प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित करना समिति के हित में आवश्यक है तो, वह प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित कर सकता है जो तदुपरान्त कार्य करना बन्द कर देगी, और कार्यवाही पूरी होने तक समिति के कार्यो के लिये निबन्धक ऐसी व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझेः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार निलम्बित प्रबन्ध कमेटी अवक्रान्त न की जाये उसे पुनः स्थापित किया जायेगा और वह अवधि जिसमें वह निलम्बित रही हो उसके कार्यकाल की गणना करने में सम्मिलित नहीं की जायेगी ।

(3) यदि निबन्धक ने उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण कर दिया हो तो वह उसके स्थान पर 6 माह से अनधिक अवधि के लिए, जो अवक्रमण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा निम्नलिखित नियुक्त कर सकता हैः

(क)एक नई कमेटी जिसमें समिति के एक या अधिक सदस्य होंगे, या

(ख)कोई प्रशासक या प्रशासकगण जिसका या जिसके या जिनके लिए समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है,

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवक्रान्त की अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु एक बार में बढ़ाई गयी अवधि 6 महीने से अधिक न होगी और बढ़ाई गई कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व नियुक्ति कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और यथास्थिति उसके या उनके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयुक्त शक्ति या सम्पादित कृत्य हो न तो अविधिमान्य समझा जायेगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबंध कमेटी का पुनर्गठन समय से नहीं हुआ था या अवक्रमण की अवधि या उसके या उनके पद का कार्यकाल सम्यक् रूप से नहीं बढ़ाया गया था,आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(4) निबन्धक को उपधारा (3)के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन नियुक्त अथवा उसके किन्हीं सदस्यों या प्रशासक अथवा प्रशासकों को स्वमति से उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि में बदलने का अधिकार होगा ।

(5) उपधारा (3) और(4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को, किसी निदेश के अधीन रहते हुये जो निबन्धक, समय समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या कोई कृत्य करने का अधिकार होगा और वे इस अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए प्रबन्ध कमेटी समझे जायेंगे ।

(6) उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने के पूर्व, उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकगण उक्त अवधि के व्यतीत होने पर सहकारी समिति का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेंगे :

(7) धारा 29 के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

35(क) कतिपय समितियों की प्रबन्ध कमेटी व उनके सभापति का कतिपय बकाया की हालत में पद रिक्त होनाः—

(1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां दो लगातार वर्षो के लिए (जिसके अर्न्तगत इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अवधि भी है)

(क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष में अपने सदस्यों के

विरूद्ध कुल देयों का साठ प्रतिशत से अधिक ऐसे वर्ष के अन्त में अदत्त रह जाये, या

(ख) किसी ऐसे वर्ष के अन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्यों की कुल संख्या के साठ प्रतिशत से अधिक हो जाये,

वहां किसी ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और सभी सदस्य उपधारा (3) के अधीन आदेश प्रभावी होने पर इस रूप में अपना—अपना पद रिक्त कर देंगे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं, वित्त पोषण बैंक पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो ''सत्तर प्रतिशत'' के निर्देश को ''साठ प्रतिशत'' के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है ।

(3) किसी समिति या बैंक के सम्बन्ध में जैसा उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, निबन्धक ऐसी समिति या बैंक के, जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यो के प्रबन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर

सकता है जिसे वह उचित समझे, और धारा 35 की उपधारा (3),(4),(5) और (6) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

36— अभिलेख आदि कब्जे में लेना :—

(1) यदि धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित अथवा अवक्रान्त किया जाये अथवा यदि धारा 72 के अधीन समिति के समापन का आदेश दिया जाये और प्रबन्ध कमेटी के बर्हिगामी सदस्य, समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति का प्रभार, यथास्थिति निबन्धक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा धारा 35 की उपधारा (2), (3), और (4) के अधीन कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को अथवा परिसमापक को न दे तो निबन्धक का उक्त नाम निर्दिष्ट व्यक्ति प्रशासक या प्रशासकगण अथवा परिसमापक समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त समिति कार्य करती हो, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना—पत्र प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही करेगा जो समिति के अभिलेख और सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए आवश्यक हो और किसी पुलिस अधिकारी को अधिपत्र द्वारा ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति प्रार्थी को दे दी जायेगी ।

37— अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में निबन्धक के आपातिक अधिकारः—

(1) यदि निबन्धक का समाधान हो जाये कि सहकारी समिति की बहियों तथा अभिलेखों में हस्तक्षेप किये जाने की सम्भावना है या समिति की निधि और सम्पत्ति का दुर्विनियोग अथवा दुष्प्रयोग किये जाने की सम्भावना है तो निबन्धक किसी व्यक्ति को, जो उसके द्वारा लिखित रूप से यथाविधि प्राधिकृत किया गया हो, आदेश दे सकता है कि वह समिति की ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण करे तथा उन्हें अपने कब्जे में ले ले और समिति का वह या वे अधिकारी जो ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के सुपुर्द कर देंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश का निष्पादन करने के लिए, निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी से आवश्यक पुलिस सहायता देने का अनुरोध कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता देगा ।

38— सहकारी समिति के अधिकारी को हटाया जाना —

(1) यदि निबन्धक की राय में सहकारी समिति के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या उसका पालन नहीं किया है, या पद धारण करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो निबन्धक किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरूद्ध की जाय या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति से ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके पद से हटाये जाने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उसे उक्त समिति के अधीन तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कोई पद धारण करने के लिए अनर्हित भी करने के लिए कह सकता है, जिसके ऊपरान्त समिति, सम्बद्ध अधिकारी की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) से अधीन समिति द्वारा कार्यवाही न करने पर, निबन्धक उक्त अधिकारी का सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे तथा जिनकी संसूचना सम्बद्ध अधिकारी तथा समिति को दी जायेगी, हटा सकती है, या हटाने के साथ–साथ उसे तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने से अनर्हित कर सकता है ।

(3) उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया कोई अधिकारी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से उस पद पर न रहेगा और यदि उसे अनर्हित कर दिया गया हो तो वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने का पात्र न होगा ।

अध्याय–5

सहकारी समितियों के विशेषाधिकार

39– सहकारी समिति का कतिपय परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार :–

प्राविंशियल एन्सालवेंसी ऐक्ट, 1920 अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 अथवा तत्समय प्रचलित भौमिक अधिकार विषयक किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, किसी ऋण या अदत्त मांग का, जो किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य द्वारा सहकारी समिति को देय हो अथवा जो किसी मृत सदस्य की सम्पदा के विरूद्ध शेष हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे दावे के अधीन रहते हुए जो समिति द्वारा ऋण दिये जाने के पूर्व , न कि उसके पश्चात् उसके (सरकार के) द्वारा दिये गये ऋण से उत्पन्न हो या मालगुजारी के सम्बन्ध में हो, अथवा मालगुजारी की बकाया की रूप में वसूल करने योग्य कोई धनराशि हो, निम्नलिखित पर प्रथम प्रभार होगा–

(क) यदि उक्त ऋण या मांग बीज, खाद, श्रमिक निर्वाह, पशुओं के लिए चारा या अन्य किसी ऐसी वस्तु के, जो कृषि सम्बन्धी कियाओं के लिए प्रासंगिक हो, सम्भरण के सम्बन्ध में अथवा उनके साधनों की व्यवस्था करने के लिए किन्हीं ऋणों के सम्बन्ध में देय हो, तो ऐसे सदस्य की फसलों तथा कृषि उपज पर य

(ख) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का लगान या मालगुजारी के भुगतान के साधनों की अथवा सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किन्हीं ऋणों के सम्बन्ध में देय हो तो यथास्थिति उस भूमि पर जिसके लगान या मालगुजारी का उक्त रूप से भुगतान किया गया हो, अथवा व्यवस्थित सिंचाई की सुविधाओं पर य

(ग) यदि उक्त ऋण या मांग पशु या पशुधन से सम्भरण या उसके कय के साधनों की व्यवस्था करने या कृषि उपकरणों, परिवहन या दुग्धशाला अथवा पशुपालन से सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए सज्जा का कय, मरम्मत अथवा संधारण करने या फार्म हाउस या पशु अथवा कृषि उपज के संग्रहार्थ गोदाम बनाने, मरम्मत या कय करने के सम्बन्ध में देय हो तो किसी ऐसे ऋण से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सदस्यों की कृषि उपज पर और इस प्रकार कय किये गये अथवा संधारित या बनाये गये सज्जा, गोदाम, फार्म हाउस या औसारा पर, और यदि ऋण गृहीता क्षेत्रपति हो तो उसकी भूमि पर भी ऋण की अन्तिम किश्त प्रतिदेय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय य

(घ) यदि उक्त ऋण या मांग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयंत्र और मशीनों कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भू –गृहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनके कय के निमित्त ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार संम्भरण या उस सदस्य द्वारा किया हो और कच्चे माल के सम्भरण के सम्बन्ध में या उसके कय के लिए ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर ;

(ड.) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि के कय या विमोचन के प्रयोजनार्थ लिये गये किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस भूमि पर जो इस प्रकार कय या विमोचन की गई हो ;

(च) यदि उक्त ऋण या मांग किसी मकान या भवन अथवा उसके किसी भाग के निर्माणार्थ लिये गये किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस मकान या भवन या सामग्री पर जो इस प्रकार कय, निर्मित या सम्भारित किया गया हो य और

(छ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का उद्धार या संरक्षण करने के लिए अथवा भूमि पर सुधार करने के लिए अथवा भूमि तैयार करने या फलोद्यान अथवा वृक्षारोपण के लिए या पशु, कृषि उपकरणों अथवा मशीनों के कय के लिये, लिये गये 500 रूपये या उससे अधिक के ऋण के

सम्बन्ध में देय हो तो उस भूमि पर जिसका उद्धार, ,संरक्षण करना हो या जिसे तैयार करना हो और उस भूमि पर जिसके प्रयोग के लिए उपकरणों या मशीनों का कय करना हो और पशु कय करने की दशा में ऋण गृहीता की किसी भूमि पर,

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन सृजित प्रभार के साथ साथ ऋणी सदस्य की सभी अन्य सम्पत्ति, जिसके अर्न्तगत समिति, जिसके अर्न्तगत समिति द्वारा उसकी देय कोई भी धनराशि है, समिति के पक्ष में किसी डिकी के निष्पादन में कुर्क की जा सकेगी और बेची जा सकेगी, चाहे ऋण का उद्देश्य कुछ भी रहा हो ।

40— कतिपय दशाओं में समिति के दावे को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती —

(1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायें, सहकारी समिति का कोई सदस्य समिति के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है जिसमें यह व्यवस्थित हो कि उसका सेवायोजक उसके वेतन या मजदूरी में से, जो सेवायोजक द्वारा उसे देय हो, उक्त अनुबन्ध में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती करने और समिति के सदस्य द्वारा देय ऋण अथवा अन्य मांग की पूर्ति के लिए समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि देने के लिए सक्षम होगा ।

(2) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति के लिखित रूप में ऐसी अपेक्षा करने पर सेवायोजक, उस समय तक जब तक कि उक्त ऋण या मांग अथवा उसका कोई भाग शेष रहे, उपधारा (1) के अधीन निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार उक्त कटौती करेगा और इस प्रकार की गई कटौती की धनराशियों का भुगतान कटौती के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को करेगा।

(3) यदि सेवायोजक , बिना पर्याप्त कारण के उपधारा (2) के अनुसार उक्त कटौती न करे अथवा ऐसी कटौती कर लेने के पश्चात् के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि का भुगतान न करे तो वह समिति के प्रति उतनी धनराशि का, जितना कि उसने यथास्थिति कटौती न की हो अथवा भुगतान न किया हो, देनदार होगा ।

41— सहकारी समिति की पूंजी में सदस्यों के अंशों या हितों के सम्बन्ध में प्रभार और मुजराई—

सहकारी समिति की देय किसी ऋण या अदत्त मांग के सम्बन्ध में सहकारी समिति का प्रभार किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी में अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गई धनराशियों पर तथा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत

सदस्य के दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश, बोनस अथवा लाभों पर होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी उस सदस्य या उसके दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के नाम में या उन्हें देय किन्हीं धनराशियों में से उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि मुजरा कर सकती है ,

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वित्तपोषक बैंक का, जिससे समिति सम्बद्ध हो, प्रभार उस वित्त–पोषक बैंक में सहकारी समिति द्वारा रक्षित निधि के रूप में कुल जमा की गई किसी धनराशि पर न होगा, यदि समिति द्वारा लिये गये ऋण की कुल धनराशियों में बैंक का अंश 75 प्रतिशत से कम हो और न उसे समिति के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसे धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्त कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा ।

42–अंश या हित की कुर्की न हो सकेगी :–

धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति की पूंजी में किसी सदस्य का अंश या हित, ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन न तो कुर्क हो सकेगा और न बेचा जा सकेगा और ऋण–शोध क्षमता (इन्सालवेन्सी) से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन कोई सरकारी अभ्यर्पित या आदाता (रिसीवर) ऐसे अंश या हित में किसी दावे का हकदार न होगा और न उस पर कोई दावा होगा :

43– संलेखों के अनिवार्य निबन्धन से मुक्ति–

इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट , 1908 (ऐक्ट संख्या 16 व र्ा 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) और (सी) में दी हुई कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी –

(क) किसी सहकारी समिति में अंशों से सम्बद्ध कोई संलेख भले ही समिति की परिसम्पत्तियां पूर्णतः अथवा अंशतः अचल सम्पत्ति के रूप में हो ; या

(ख) ऐसी किसी समिति द्वारा जारी किया गया ऋण–पत्र जो सिवाय उस मात्रा तक जहां तक कि वह धारी को ऐसे निबन्धित संलेख से प्राप्य सुरक्षा का हकदार बनाता हो जिसके द्वारा समिति ने अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित पूर्णतः या अंशतः न्यासधारियों को ऐसे ऋण–पत्र धारियों के हितार्थ न्यास के रूप में बन्धक या हस्तान्तरित कर दिया गया हो, या अन्यथा संक्रमित कर दिया हो अचल सम्पत्ति में अधिकार, आगम या हित उत्पन्न, घोषित, अभ्यर्पित, सीमित या समाप्त न करता हो ; या

(ग) किसी ऐसी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्र पर कोई पृष्ठांकन या उसका संक्रमण।

43(क) सदस्यों का रजिस्टर –

सदस्यों या अंशों का कोई रजिस्टर या सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाये, उसमें प्रविष्ट निम्नलिखित विषयों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी–

(क) दिनांक जब उस रजिस्टर या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया हो ;

(ख) दिनांक जब ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया हो ।

43(ख)– बंधक एवं प्रभार के रजिस्टर–

कोई रजिस्टर या बंधक एवं प्रभार की सूची ,जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाय,उसमें अंकित निम्नलिखित विवरणों की प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगी –

(क) दिनांक जब सदस्य द्वारा बंधक या प्रभार, समिति के पक्ष में सृजित किया गया हो,

(,ख) भूमि या अन्य अचल संपत्ति जिसका बंधक या प्रभार रखा गया हो का विवरण, एवं

(ग) दिनांक जब निष्पादित किये गये बंधक या प्रभार ऊपरजिस्ट्रार या माल विभाग के प्राधिकारी को जैसा भी हो , भेजा गया है ।

43–(ग)– सहकारी समितियों की बहियों में प्रविष्टियों की रीति :–

(1) किसी सहकारी समिति की बही, जो उसके कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में नियमित रूप से रखी जाती हो, किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह उस रीति से प्रमाणित की गयी हो, जो नियत की जाये, किसी वाद या विधिक कार्यवाही में उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेख्यों के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक ग्रहण की जायेगी जिस प्रकार और जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि ग्राह्य होती ।

(2) कोई सहकारी समिति किसी ऐसे लेख्य की किन्हीं प्रतिलिपियों जो उसने अपने कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त किया और रखा हो, या उस लेख्य की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां दे सकती है और दी गई कोई प्रतिलिपि, जो ऐसी रीति से प्रमाणित की गई हो, जो नियत की जाये, किसी भी प्रयोजन के लिए उसी प्रकार और उसी सीमा तक साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

(3) सहकारी समिति के किसी अधिकारी को और ऐसे अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात् किसी सहकारी समिति की बहियां जमा हों, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें उक्त सहकारी समिति या परिसमापक एक पक्ष न हो समिति की बहियां या लेख्य, जिनकी अन्तर्वस्तु को इस धारा के अनुसार सिद्ध किया जा सके, प्रस्तुत करने या उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब किसी विशेष कारण के न्यायालय, न्यायाधिकरण, निबन्धक या मध्यस्थ ने तदर्थ आदेश दिया हो ।

43(घ)–सदस्यों की पास बुक–

(1) कोई सहकारी समिति, जो अपने सदस्यों को ऋण देती या कोई सहकारी समिति या सहकारी समितियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पास बुक उपलब्ध करायेगी, जिसमें सदस्य के साथ हुये संव्यवहारों का ब्यौरा जैसे कि संव्यवहार का दिनांक, दिये गये ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा दी गई अदायगियां, शोध्य मूलधन और ब्याज की धनराशि और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी कि नियत की जायं, अन्तर्विष्ट होंगी । पास बुक की प्रविष्टियां समय समय पर अद्यावधिक की जायेंगी और सहकारी समिति के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेंगी जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करें, और इस प्रयोजन के लिये ऐसा सदस्य ऐसे अधिकारी को पास–बुक प्रस्तुत करेगा , यदि पास बुक को प्रविष्टियां करने के लिये रोकना अपेक्षित हो तो उसकी एक रसीद निर्गत करेगा ।

(2) पास बुक में सम्यक रूप से की गई प्रविष्टियां , जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाय, सदस्य के साथ सहकारी समिति के संव्यवहार की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी ।

43(ड.)– करों, फीस एवं शुल्कों से छूट–

(1) सरकार, किसी वर्ग की सहकारी समितियों को अधिसूचना जारी कर छूट दे सकती हैः

(अ) स्टाम्प शुल्क से जो किसी प्रचलित अधिनियम के अर्न्तगत सहकारी समिति या उसकी ओर से अथवा उसके अधिकारी या सदस्य द्वारा समिति के व्यवसाय के लिये दस्तावेज या दस्तावेजों , अभिनिर्णय या आदेश के लिये देय होगा , या

(ब) किसी शुल्क या कोर्ट फीस जो किसी प्रचलित अधिनियम के अंर्तगत दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए देय होगा

,(2) सरकार किसी वर्ग की सहकारी समितियों को अधिसूचना जारी कर छूट दे सकती है

(अ)मालगुजारी से एवं

(ब)सामानों की बिक्री एवं खरीद पर लिये जाने वाले करों से ।

<u>अध्याय–6</u>

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता

44. राज्य सरकार की समितियों में सीधे सहभागिता–

(1) राज्य सरकार सीमित दायित्व वाली समिति की अंश पूंजी में से ऐसी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिसमें सहमति हो सीधे अभिदान कर सकती है ।

राज्य सरकार की समितियों में परोक्ष सहभागिता–

(2) राज्य सरकार किसी शीर्ष सहकारी समिति को सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों को सीधे या परोक्ष रूप से क्रय के लिए धन दे सकती है ।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसी सहकारी समिति में अपने अंशों पर लाभांश उसी दिन से पाने की हकदार होगी जो समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

45– प्रमुख राज्य भागिता निधि–

(1) कोई भी शीर्ष समिति जिसे धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाये, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे ''प्रमुख राज्य भागिता–निधि'' कहा जायेगा ।

(2) शीर्ष समिति ''प्रमुख राज्य–भागिता–निधि'' का निम्नलिखित प्रयोजनो के लिए ही प्रयोग करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं–

(क) सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों का सीधा क्रय,

(ख) किसी सहकारी समिति को जिसके अन्तर्गत उसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियां भी हैं धन देना जिससे कि वह समिति सीमित दायित्व वाली अन्य सम्बद्ध सहकारी समितियों के (जिन्हें आगे इस अध्याय में ''प्रारम्भिक समितियां कहा गया है) अंश क्रय कर सके ,

(ग) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को भुगतान करना :

(घ)ऐसे अन्य भुगतान करना जिन्हें राज्य सरकार उपखंड (क),(ख) तथा (ग) में उल्लिखित अपेक्षाओं के पूर्णतः पूरा होने के पश्चात अनुज्ञात करे ।

46–सहायक राज्य भागिता निधि–

(1) कोई केन्द्रीय समिति जिसे शीर्ष समिति प्रमुख राज्य भागिता–निधि से धन दे, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे ''सहायक राज्य भागिता–निधि'' कहा जायेगा ।

(2) केन्द्रीय समिति, सहायक राज्य भागिता–निधि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिये ही प्रयुक्त करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं–

(क) प्रारम्भिक समितियों में अंशों का क्रय ;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार शीर्ष समिति को भुगतान करना ।

47–अंशों के कय के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन–

प्रमुख राज्य भागिता–निधि या सहायक राज्य भागिता–निधि के धन से, किसी सहकारी समिति में कोई अंश राज्य सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना क्रय नहीं किया जायेगा ।

48–कतिपय अंशों के सम्बन्ध में दायित्व का सीमित होना–

यदि किसी सहकारी समिति में–

(क) राज्य सरकार द्वारा ; या

(ख) प्रमुख राज्य भागिता–निधि से शीर्ष समिति द्वारा ;

(ग) सहायक राज्य भागिता–निधि से केन्द्रीय शीर्ष समिति द्वारा अंश क्रय किये जायें, तो सहकारी समिति के समापित हो जाने की दशा में, ऐसे अंशों के सम्बन्ध में दायित्व अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहेगा ।

49– लाभांश की धनराशि पर निर्बन्धन–

शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता –निधि के धन से अन्य सहकारी समितियों में अंश क्रय किये हों तथा केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता–निधि के धन से प्रारम्भिक समितियों में अंश क्रय किये हों, उक्त अंश पर केवल ऐसे लाभांश की हकदार होगी जो सम्बद्ध समिति द्वारा घोषित किया जाय और जो उस समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो ।

50–शीर्ष तथा केन्द्रीय समितियों की क्षतिपूर्ति–

(1) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश प्रमुख राज्य भागिता–निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जाय, तो राज्य सरकार का उस शीर्ष समिति पर जिसने अंश क्रय किये हों, ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य नहीं होगा, परन्तु राज्य सरकार, यथास्थिति समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर शीर्ष समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धन की हकदार होगी ।

(2) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश सहायक राज्य भागिता निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जायें तो, न राज्य सरकार का और न शीर्ष समिति का, उस केन्द्रीय समिति के विरूद्ध जिसने अंश क्रय किये हों , ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य होगा, किन्तु शीर्ष समिति, यथास्थिति, समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर केन्द्रीय समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धनराशि की हकदार होगी, और ऐसा धन प्रमुख राज्य भागिता निधि में जमा कर दिया जायगा ।

51– अंश पूंजी और लाभांश आदि का निस्तारण–

(1) किसी शीर्ष समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों के प्रमुख राज्य भागिता निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश पर या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन उक्त निधि में जमा कर दिया जायेगा ।

(2) किसी केन्द्रीय समिति द्वारा प्रारम्भिक समिति के सहायक राज्य भागिता निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशो के विमोचन पर अथवा लाभांश या अन्य किसी रूप में प्राप्त

समस्त धन प्रथमतः उक्त निधि में जमा किया जायेगा और तत्पश्चात् उस शीर्ष समिति को संक्रमित कर दिया जायगा, जो उसे प्रमुख राज्य भागिता निधि में जमा कर देगी ।

(3) उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट समस्त धन और लाभांशो का भुगतान इस बात के होते हुए भी कि अंश यथास्थिति, शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति के नाम में है, राज्य सरकार को दिया जायेगा ;

(4) उपधारा 3 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्य सरकार धारा 44 के अधीन शीर्ष समिति को दिये गये धन पर किसी अन्य लाभ की हकदार न होगी।

52– शीर्ष या केन्द्रीय समिति के समापन पर प्रमुख राज्य भागिता–निधि तथा सहायक राज्य भागिता–निधि का निस्तारणः–

(1) यदि कोई शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता–निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय,तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा।

(2) यदि कोई केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता–निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान उस प्रमुख राज्य भागिता–निधि को किया जायेगा तथा उसके नाम में जमा किया जायेगा जिससे कि उसने धारा 45 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन धन प्राप्त किया हो ।

53– प्रमुख राज्य भागिता–निधि परिसम्पत्तियों तथा सहायक राज्य भागिता–निधि के भाग न होंगे–

प्रमुख राज्य भागिता–निधि या सहायक राज्य भागिता–निधि के नाम में जमा कोई धनराशि, यथास्थिति, शीर्ष समिति की परिसम्पत्तियों की भागी न होगी ।

54– धन की व्यवस्था करने के लिए निर्बन्धन और शर्त–

इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(क) राज्य सरकार शीर्ष समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तो का उल्लेख होगा जिन पर धारा 45 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए शीर्ष समिति को धन देगी :

(ख) कोई भी शीर्ष समिति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निर्बन्धनों और शर्तो का उल्लेख होगा जिनपर वह प्रमुख राज्य भागिता–निधि से धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त समिति को धन देगी ।

55– सहकारी समितियों को राज्य की सहायता देने की अन्य रीतियां–

तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार–

(क) सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम (एडवान्स) दे सकती है,

(ख) सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मंलधन के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति (गारन्टी) दे सकती है ,

(ग) किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है, और

(घ) किसी सहकारी समिति को किसी भी अन्य रीति से , जिनमें ब्याज रहित रिवालविंग फण्ड एवं अनुदान भी सम्मिलित है, वित्तीय सहायता दे सकती है ।

56– इस अध्याय के उपबन्ध अन्य विधियों को अभिभूति करेंगे –

तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

अध्याय–7

सहकारी समितियों की सम्पत्ति और निधियां

57–निधियों का विभाजन नहीं होगा –

इस अधिनियम में विशेष रूप से की गई अन्य व्यवस्था के अधीन रहते हुए शुद्ध लाभ के अतिरिक्त सहकारी समिति की निधियों के किसी भाग का , सदस्यों में बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा वितरण नहीं किया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को उसकी ऐसी सेवाओं के लिए जो उसने सहकारी समिति के लिए की हों उपविधियों में दिये गये मानक के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है ।

58– शुद्ध लाभ का निस्तारण–

(1) किसी सहकारी वर्ष में किसी सहकारी समिति का शुद्ध लाभ, उस वर्ष में उसके सकल लाभ से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात संगणित किया जायगा–

(क) ब्याज जो अतिशोध्य है,

(ख) प्रबन्धकीय व्यय

(ग) कर्मचारियों के निधि या उपदान निधि के लिए अंशदान

(घ) ऋण और जमा पर ब्याज

(ड.) लेखा परीक्षा फीस,

(च) चालू व्यय जिसमें मरम्मत, किराया, कर और सम्पत्ति का हृास सम्मिलित है,

(छ) असमायोजित अशोध्य ऋणों और हानियो को बट्टे खाते में डालने के लिए सृजित निधि के लिए अंशदान प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज, जिसे उस वर्ष में वसूल किया गया है, वर्ष के शुद्ध लाभ से जोड़ सकती है ;

(1–क) सहकारी समिति उपधारा (1) के अधीन यथा संगणित किसी वर्ष के शुद्ध लाभ को , जिसमें पूर्व वर्षों का अग्रनीत शुद्ध लाभ सम्मिलित है, निम्नलिखित रीति से वितरित करेगी–

(क) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित की जायगी , जिसे रक्षित निधि कहा जायगा ।

(ख) विहित रीति से स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में कम से कम इतनी धनराशि जो विहित की जाय , जमा की जायगी और वह ऐसी सहकारी समितियों पर भी लागू होगा जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो :

(ग) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो जैसी विहित की जाय, एक निधि में एकत्रित की जायगी जिसे ∕नपजल त्मकमउचजपवद थ्नदक कहते हैं व इस सहकारी समिति द्वारा उपयोग में जैसा विहित की जाय, लाई जायगी जिसमें सरकार की अंश पूंजी लगी है ।

प्रतिबन्ध यह है कि वह कुल राशि जो सहकारी समिति ऐसी निधि में लगाये, उस राशि से अधिक नहीं होगी जितनी अंशपूंजी सरकार द्वारा उस समिति में लगाई गई हो ।

(2) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, शुद्ध लाभ का शेष निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अर्थात्–

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंशपूंजी पर 20 प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान,

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होने समिति के साथ किया हो,राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से , जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हों, बोनस का भुगतान ।

(ग) ग्राम सुधार निधि या अन्य किसी निधि का, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट की जाय संघटन या उसमें अंशदान ,

(घ) चेरीटेबुल एनडाउमेंट ऐक्ट 1860 की धारा 2–क में तथा परिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिए 5 प्रतिशत से अनधिक धनराशियों का दान

प्रतिबन्ध यह है कि कोई धनराशि ऐसे खैराती संघटन को दान में नहीं दी जायगी जिसका उदद्देश्य सीधे या परोक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल या धार्मिक संघटन को बढ़ावा देना हो,

(3) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निबन्धक, किसी सहकारी समिति के अनुरोध पर, किसी निधि में अंशदान करने से छूट दे सकता है या ऐसी निधि में अंशदान

के प्रतिशत को कम कर सकता है; जैसा कि उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित है या उपधारा (2) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित लाभांश के प्रतिशत को बढ़ा सकता है ।

59— निधियों का विनियोजन —

नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति अपनी निधियों को निम्नलिखित में विनियोजित या जमा कर सकती है—

(क) इण्डिया ट्रस्ट ऐक्ट 1882 (एक्ट संख्या 2,व र्ा 1882) की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में , या

(ख) किसी अन्य सहकारी समिति के अंश या प्रतिभूति में, या

(ग) इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में, या

(घ) किसी अन्य प्रकार से नियमों द्वारा अनुज्ञात अथवा राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश से हो, जो नियमों की भांति प्रभावी होगी ।

60—उधार लेने पर निर्बन्धन—

सहकारी समिति निक्षेपों और ऋणों को केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों के अधीन लेगी जो नियत की जायें या जो उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें ।

61—ऋणों का निर्बन्धन—

(1) सहकारी समिति सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देंगी,

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक की सामान्य या विशेष स्वीकृति से सहकारी समिति किसी अन्य सहकारी समिति को ऋण दे सकती है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति किसी निक्षेपक को उसके निक्षेप, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सोने और चांदी के जेवरात एवं अन्य बंधक की गयी अचल सम्पत्ति तथा अन्य प्रतिभूति पर जो नाबार्ड(नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमैन्ट) / रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत हों, की प्रतिभूति पर ऋण दे सकती है ।

62— सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ अन्य व्यवहारों पर निर्बन्धन—

धारा 60 और 61 में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी सहकारी समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार, जिनमें उसकी निधियों को जमा करना भी सम्मिलित है, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहेंगे जो नियत किये जायें ।

63— भविष्य निधि —

(1) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हों, जो नियत किये जायें, वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिए सामान्य भविष्य निधि अथवा एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी । अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारियों और समिति द्वारा किये गये अंशदान को जमा किया जायेगा जबकि सामान्य भविष्य निधि में केवल कर्मचारियों का अंशदान जमा होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित भविष्य निधि—

(क) समिति के कारोबार के लिये प्रयोग में लायी जायेगी,

(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होंगी,,

(ग) न कुर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी , और

(घ) धारा 41 के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त भुगतान करने के लिए प्रभार या मुजरायी के अधीन न होगी ।

अध्याय–8

लेखा परीक्षा, जांच, निरीक्षण और निर्धारण

64– लेखा परीक्षा –

(1) निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे उसने तदर्थ लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो जो चार्टड एकाउन्टेन्ट सहित ऐसी अर्हताएं रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट की जायें ।

(2) उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षा में वीतकाल ऋणों का, यदि कोई हो, परीक्षण, रोकड़ बाकी और प्रतिभूतियों का सत्यापन और समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा ।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सभी समयों पर, समिति की या समिति की अभिरक्षा में रखी गयी, सभी बहियों, लेखा, लेख्यों, पत्रादि, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, लेख्य, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्तियां हो या जो इसके लिये उत्तरदायी हों, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में प्रस्तुत करने के निमित्त आहूत कर सकता है ।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का अधिकारी या कर्मचारी हो या किसी समय रहा हो और समिति का प्रत्येक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य समिति के व्यवहारों और कार्य संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे ।

(5) इस धारा के अंतर्गत समिति के लेखा परीक्षा हेतु प्रत्येक समिति निबंधक अथवा अंकेक्षक को जैसी भी स्थिति हो, अंकेक्षण शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होगी :

(I) ऐसी अवधि के लिये जो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से खंड दो के अंतर्गत सामान्य या विशेष आदेश की तिथि से तत्काल पहले की तिथि तक की होगी, वर्तमान दरों पर,

(II) अन्य किसी अवधि के लिये ऐसी दरों या परिणाम के अनुसार जो राज्य सरकार समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे,

(6) राज्य सरकार यदि ऐसा करना जनहित में समझें, तो कारणों का विशेष उल्लेख करते हुये किसी समिति या किसी वर्ग की समितियों को पूर्ण तौर से या आंशिक तौर पर सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर अंकेक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दे सकती है–

(7) किसी समिति द्वारा देय अंकेक्षण शुल्क की धनराशि चाहे वह इस अधिनियम लागू होने के पूर्व या पश्चात की किसी अवधि की हो,राज्य सरकार को देय धनराशि मानी जायेगी ।

(8) धारा 64 के अंतर्गत हुये अंकेक्षण के परिणाम स्वरूप समिति की कारगुजारी में यदि कोई दोष प्रकाश में आते हैं, समिति अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि के तीन माह के भीतर निबंधक को अंकेक्षण द्वारा इंगित किये गये दोष या अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण भेजेगी तथा दोषों एवं अनियमितताओं को दूर करने /समाधान हेतु कदम उठायेगी और निबन्धक को उस पर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी ।

65–निबन्धक द्वारा जॉच–

(1) निबन्धक स्वतः या उसके लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी सहकारी समिति के संघटन, कार्य संचालन और वित्तीय दशा की जांच कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार की जांच निबन्धक द्वारा अथवा उसके द्वारा तदर्थ लिखित रूप से उक्त व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के प्रार्थना–पत्र पर की जायेगी–

(क)सहकारी समिति जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो ;

(,ख)समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य,

(ग)समिति की प्रबन्ध कमेटी के अधिकांश सदस्य ।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के लिये निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे ; अर्थात–

(क) वह सभी समयों पर समिति की, या समिति की अभिरक्षा में रखीं गयी सभी बहियों, लेखों, लेख्यों, पत्रादि, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्ति हों या जो उनके लिए उत्तरदायी हों, उन्हें प्रस्तुत करने के लिये समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर आहूत कर सकता है ;

(ख) वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे समिति के किसी मामले का ज्ञान है, समिति के मुख्यालयों में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर उपस्थित होने के लिए आहूत कर सकता है और शपथ पर उसका बयान ले सकता है :

(ग) वहऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुये भी जिसमें समिति की सामान्य बैठक के लिये नोटिस की अवधि निर्दिष्ट की गई हो, समिति के अधिकारियों से, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में ऐसे समय और स्थान पर और ऐसे विषयों का निर्णय करने के लिये, जिनका वह निदेश दे, सामान्य बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि समिति के अधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इन्कार करें या न बुलायें, तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा : और

(घ) वह उक्त रीति से और खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है या स्वयं उसे बुला सकता है ।

(4) खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन बुलायी गई किसी बैठक को, समिति की उपविधियों के अधीन यथास्थिति, सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक के अधिकार होंगे और उसकी कार्यवाही उपविधियों द्वारा विनियमित होंगी ।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की गई तो निबन्धक जा।च कर परिणाम समिति को संसूचित करेगा और ऐसी दशा में जब उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रार्थना–पत्र देने पर जांच हुयी तो प्रार्थना–पत्र देने वाली समिति को भी जांच का परिणाम संसूचित करेगा ।

66– सहकारी समिति की बहियों और सम्पत्ति का निरीक्षण –

(1) निबन्धक स्वतः या किसी सहकारी समिति के ऋणदाता के प्रार्थना–पत्र पर , समिति की बहियों, नकदी, तथा अन्य सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है या ऐसे व्यक्ति को उनके निरीक्षण करने का निदेश दे सकता है जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया हो,

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई निरीक्षण किसी ऋण–दाता के प्रार्थना – पत्र पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी निबन्धक को यह समाधान न कर दे कि ऋण उसे तत्समय प्रतिदेय है, और यह कि उसने भुगतान की मांग की है और उचित समय के भीतर यह अदा नहीं की गई है ।

(2) निबन्धक किसी ऐसे निरीक्षण या परिणाम निम्नलिखित को संसूचित करेगा–

(क)जब वह स्वतः निरीक्षण करे तो समिति को, और

(ख)जब किसी ऋण–दाता के प्रार्थना–पत्र पर निरीक्षण करे, तो ऋण–दाता और समिति को ।

67– जॉच का व्यय –

यदि धारा 65 के अधीन जांच की जाय, अथवा ऋणदाता के प्रार्थना–पत्र पर धारा 66 के अधीन निरीक्षण किया जाय तो निबन्धक व्यय की अथवा व्यय के उतने भाग का, जो वह उचित समझें

सहकारी समिति, जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो, समिति, सदस्य अथवा ऋणदाता जो जांच अथवा निरीक्षण की मांग करे और समिति के अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों के बीच विभाजन कर सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) ऐसे विभाजन के लिये कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समिति अथवा उस व्यक्ति को, जिसे उस आदेश का देनदार ठहराया जा रहा हो, सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो :

(ख) निबन्धक उन कारणों को लिखित रूप में व्यक्त करेगा जिनके आधार पर व्यय का विभाजन किया जायेगा।

68– अधिभार –

(1) यदि किसी सहकारी समिति की लेखा–परीक्षा, जॉच , निरीक्षण अथवा समापन करते समय यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इन समितियों के संघटन या प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है अथवा सौंपा गया था अथवा जो समिति के किसी समय अधिकारी या कर्मचारी रहे हों कोई भुगतान इस अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल किया है या कराया है या विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचायी है या उक्त समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रोक रखा है तो निबन्धक स्वतः, अथवा कमेटी, परिसमापक या किसी ऋण दाता के प्रार्थना करने पर,, उक्त व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच कर सकता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ रूप से अधिकृत किया हो, उसकी जांच करने का आदेश दे सकता है ,

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भी कार्य अथवा कार्य–लोप के दिनांक से बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ऐसी कोई जांच आरम्भ न की जायेगी ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जांच की जाये तो निबन्धक सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अधिभार का आदेश दे सकता है जिसमें वह उससे सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने अथवा उक्त धन अथवा उसके किसी भाग का या प्रतिदान उस दर से ब्याज सहित करने अथवा उस मात्रा तक अंशदान और व्यय या प्रतिकर का भुगतान करने, जिसे निबन्धक न्यायपूर्ण और सामयिक समझे, की अपेक्षा कर सकता है :

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचाने या उक्त समिति के किसी धन या अन्य

सम्पत्ति का दुर्विनियोग या उसे कपटपूर्ण ढंग से रोके रखने के लिए अधिभार का आदेश दिया गया हो तो, ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के, यदि कोई हो , परिणाम के अधीन रहते हुये अधिभार के आदेश के दिनांक से पांच वर्ष के लिये किसी सहकारी समिति में किसी पद पर बने रहने या निर्वाचित अथवा नियुक्त किये जाने के लिये अनर्ह होगा।

69—त्रुटि सुधार के आदेश का निबन्धक का अधिकार—

यदि धारा 64 के अधीन की गयी लेखा परीक्षा अथवा धारा 65 के अधीन की गई जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये निरीक्षण के परिणामस्वरूप निबन्धक की यह राय हो कि समिति सुव्यवस्थित रूप में कार्य रही कर रही है अथवा उसका प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण है तथा अंकेक्षण में इंगित त्रुटियों का समाधान धारा 64 (8)में अनुबंधित समय में नहीं हुआ है, तो वह, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह समिति अथवा उसके अधिकारियों के आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों से असंगत न हो और जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय ।

अध्याय—9

विवादों का निपटारा

70—विवाद जो मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जा सकते हैं—

(1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी , यदि सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति के वेतनभोगी कर्मचारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न कोई विवाद,

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, अथवा,

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति, और समिति, उसकी प्रबन्ध कमेटी, जिसे आगे इस अध्याय में कमेटी अभिर्दिष्ट किया गया है, अथवा समिति के अधिकारी, अभिकर्ता, या कर्मचारी जिनके अर्न्तगत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीचः अथवा

(ग) समिति अथवा उसकी कमेटी और समिति किसी भूतपूर्व कमेटी, या किसी अधिकारी, अभिकर्ता कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच : अथवा

(घ) किसी सहकारी समिति और किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समिति के बीच उत्पन्न हो :
तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबन्धक को अभिर्दिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा :
प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद निबन्धक को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित न कर दिया जाये ।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवादों में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जायेंगे, अर्थात–
(क) देय धनराशि के लिये दावे, जब भुगतान की मांग की जाय और वह या तो अस्वीकृत कर दी जाय अथवा उसका अनुपालन न किया जाय चाहे ऐसे दावे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार किये गये हों अथवा न किये गये हों :
(ख) प्रतिभू द्वारा ऋणों के विरूद्ध दावा, जब समिति ने ऐसे ऋण या मांग के सम्बन्ध में हो मुख्य ऋणों द्वारा देय हो, कोई धनराशि मुख्य ऋणी की चूक के फलस्वरूप प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो अथवा नहीं :

(ग) समिति द्वारा किसी ऐसी हानि के लिये दावा जो उसे किसी सदस्य, अधिकारी, अभिकर्ता अथवा कर्मचारी से पहुंची हो, जिसके अर्न्तगत भूतपूर्व या मृत सदस्य, अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, चाहे वह हानि व्यक्तिगत रूप से पहुंचाई गयी हो या सामूहिक रूप से और चाहे ऐसी हानि स्वीकार की गयी हो या नहीं : तथा
(घ) उपविधियों में उल्लिखित समिति के उद्देश्यों से सम्बद्ध सभी विषय और पदाधिकारी ;वििपबम इमंतमतेद्ध के निर्वाचन से सम्बद्ध विषय भी ।
(3)यदि यह प्रश्न उठे कि इस धारा के अधीन निबन्धक को अभिदिष्ट कोई विवाद, सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवाद है या नहीं तो उस पर निबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी ।
71– मध्यस्थ को विवाद का अभिदेश–
(1) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर निबन्धक नियमों, यदि कोई हों, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए–
(क) विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है : अथवा

(ख) उसे निर्णय के लिए अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता हैः अथवा

(ग) यदि पक्ष लिखित रूप में अनुरोध करें तो उसे निर्णय के लिए ऐसे मध्यस्थ मण्डल को अभिदेश कर सकता है जिसमें तीन सदस्य होंगे जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे :

(2) निबन्धक, उपधारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन किये गये अभिदेश को उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, वापस ले सकता है और उसे दूसरे मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल को अभिदिष्ट कर सकता है अथवा उस पर स्वयं निर्णय दे सकता है ।

(3) निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया गया हो, विवाद के निर्णय होने तक न्याय हित में ऐसे विवादकालीन आदेश ;प्दजमतसवबनजवतल वतकमतद्ध जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की भी है, दे सकता है, जो वह आवश्यक समझे ।

(4) इस धारा के अधीन निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिया गया, निर्णय आगे अभिनिर्णय कहा जायेगा ।

(5) इस धारा के अधीन किसी विवाद का निर्णय करने और अभिनिर्णय देने में निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रकिया वही होगी जो नियत की जाय ।

(6) निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल इस धारा के अधीन विवाद के निस्तारण में गवाहों तथा इच्छुक पक्षकारों या उनमें से किसी को बुलाने, हाजिरी सुनिश्चित करने एवं शपथ, अभिपुष्टि या हलफनामे पर साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को पेश करने हेतु उन्हीं माध्यमों एवं यथा सम्भव उसी प्रकार बाध्य किया जा सकता है जैसा दीवानी न्यायालय के मामले में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में प्राविधानित है ।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी अधिकारी को मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा जो समिति से किसी प्रकार से सम्बद्ध रहा हो ।

71—कः—ऋणदाता समिति का ऋण समिति और उसके सदस्यों के विरूद्ध अधिकार—

(1) यदि कोई सहकारी समिति (जिसे आगे इस धारा में ऋणी समिति कहा गया है) अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य सहकारी समिति को (जिसे आगे इस धारा में ऋणदाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक की है और ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी ने सदस्यों से प्राप्य धन की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता

समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरूद्ध (धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95—क) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन उस नोटिस की तामील के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी नहीं कर सकती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरूद्ध ऋणदाता समिति स्वयं (यथास्थित धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95—क) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है मानों वह ऋणदाता समिति के सदस्य हों और उस दशा में अधिनियम और इसके अधीन बने नियम और ऋणी समिति की उपविधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति और उसकी प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश ऋणदाता समिति और उसके प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश हों ।

(3) जहां ऋणदाता समिति ने ऋण समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरूद्ध धारा 92 से निर्दिष्ट अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणदाता समिति इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से, या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनके प्राप्य ऋण की मांग तक, या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकती है ।

71—खः— इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट , 1963 से छूट —

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट 1963 (ऐक्ट संख्या 34, व र्ा 1963) में किसी उपबन्ध के होते हुए भी, सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति को देय किसी धनराशि को जिसके अर्न्तगत उस पर ब्याज भी है, वसूली के लिए वादों को संस्थित करने के निमित्त अवधि की गणना उस दिनांक से की जायेगी जिस दिनांक को समिति के सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह सदस्य न रह जाय ।

अध्याय— 10

सहकारी समितियों का समापन और विघटन

72— सहकारी समितियों का समापन—

(1) यदि धारा 65 के अधीन जांच हो जाने अथवा धारा 66 के अधीन निरीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् अथवा सहकारी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा दिये गये प्रार्थना—पत्र के प्राप्त होने पर, निबन्धक की यह राय हो कि समिति का समापन हो जाना चाहिये, तो वह उसके समापित कर दिये जाने के आदेश दे सकता है ।

(2) निबन्धक स्वतः तथा ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो नियत किया जाय, निम्नलिखित दशाओं में सहकारी समिति को समापित कर देने का आदेश दे सकता है :

(क) यदि सहकारी समिति का निबन्धन कपट या भूल से प्राप्त किया गया हो : अथवा

(ख) यदि साधारण सदस्यों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से भी कम हो गयी हो, जो धारा 6 द्वारा ऐसी समिति के निबन्धन के लिए व्यवस्थित है : अथवा

(ग) यदि सहकारी समिति ने समुचित समय के भीतर कार्य करना आरम्भ न किया हो अथवा कार्य करना बन्द कर दिया हो : अथवा

(घ) यदि सहकारी समिति अपना उद्‌देश्य पूरा न कर रही हो या धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर रही हो ।

73– परिसमापक–

(1) यदि निबन्धक ने धारा 72 के अधीन सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को परिसमापक नियुक्त कर सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो उसका पारिश्रमिक निश्चित कर सकता है ।

(2) नियुक्त होने पर परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों ;ंबजपवदंइसम बसंपउेद्ध को जिनकी समिति हकदार हो या प्रतीत हो, अपनी अभिरक्षा में अथवा अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, सामान और दावा की हानि या हृास और क्षति रोकने के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे । परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों का पूरा लेखा रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा :

(3) यदि धारा 72 के अधीन सहकारी समिति का परिसमापन करने के आदेश के विरूद्ध धारा 98 के अधीन अपील की गई हो तो परिसमापन सम्बन्धी आगे की कार्यवाही तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि उक्त आदेश की अपील में पुष्टि न हो जाय ।

प्रतिबन्ध यह है कि परिसमापक उपधारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावा को अपनी अभिरक्षा अथवा नियन्त्रण में रखे रहेगा और उसका उक्त उपधारा में अभिर्दिष्ट कार्यवाही करने का प्राधिकार बना रहेगा ।

(4) यदि सहकारी समिति के समापक का आदेश अपील में रद्‌द कर दिया जाय तो समिति , समिति की सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावे समिति में पुनर्निहित हो जायेंगे ।

74– परिसमापक के अधिकार–

(1) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सहकारी समिति की, जिनके सम्बन्ध में समापन का आदेश दिया गया हो,सम्पूर्ण परिसम्पत्तियां धारा 73 के अधीन नियुक्त परिसमापक में उस दिनांक से निहित हो जायेंगी जिस दिनांक को उक्त आदेश प्रभावी हो और

परिसमापक को ऐसी परिसम्पत्तियों को बेचकर या अन्य प्रकार से, वसूल करने का अधिकार होगा

(2) ऐसे परिसमापक को निबन्धक के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये यह भी अधिकार होगा कि वह :

(क)अपने पद के नाम से सहकारी समिति की ओर से वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करे और उनका प्रतिवाद करे :

(ख)सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दावे का उत्तर देने का अवसर देने के पश्चात् समय–समय पर अंशदान की, जिनके अर्न्तगत ऋण तथा अन्य देय भी है, अवधारित करे जो सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों द्वारा अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उनके दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अथवा अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा समिति की परिसम्पत्तियों में दिया जाना हो अथवा दिया जाना शेष हो :

(ग)उस समय को निश्चित करे, जो किसी भी दशा में तीन दिन से कम न होगा, जिसके भीतर ऋणदाता अपने ऋणों और दावों को प्रमाणित करेंगे अथवा इन ऋणों या दावों के प्रमाणित होने के पूर्व किये गये किसी वितरण के लाभ में सम्मिलित किये जायेंगे और ऐसे समय का नोटिस नियत रीति से दें :

(घ)सहकारी समिति के विरूद्ध सभी दावों की जांच करे और दावेदारों के बीच उठने वाले पूर्वता के प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्णय करे :

(ड.)सहकारी समिति के विरूद्ध दावों का भुगतान, उनकी पारम्परिक पूर्वता यदि कोई हो, के कमानुसार समापन के दिनांक तक के ब्याज सहित पूरा–पूरा अथवा अनुमानतः जैसा कि समिति की परिसम्पत्तियों के अनुसार सम्भव हो, करें और यदि दावों के भुगतान के पश्चात् कोई अतिरिक्त धनराशि बचे तो उसे उक्त आदेश के दिनांक से तथा उसके (परिसमापक के) द्वारा नियत दर से, जो किसी भी दशा में संविदा की दर से अधिक न होगी, ब्याज के भुगतान में लगाया जायेगा :

(च)यह अवधारित करे कि किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में परिसमापन के व्यय वहन किये जायेंगे :

(छ)समिति की परिसम्पत्तियों के संग्रह और वितरण के सम्बन्ध में ऐसे निदेश दें जो उसे समिति के कार्यो के समापन के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

(ज)अध्याय 9 के अन्तर्गत आने वाले विवादों को मध्यस्थ निर्णय के अभिदिष्ट कराये तथा मध्यस्थ निर्णय की किसी भी कार्यवाही में, जिसमें समिति एक पक्ष हो, समिति का प्रतिनिधित्व करे :

(झ)समिति के लाभप्रद समापन के लिए जहां तक आवश्यक हो, समिति के कार्य का संचालन करेः

(ञ)ऋणदाताओं अथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ऋणदाता होने का दावा करें अथवा जिसका कोई दावा हो अथवा जो अभिकथन करें कि उनका दावा है, चाहे वह वर्तमान हो अथवा भावी, जिसके द्वारा समिति देनदार ठहराई जा सके, कोई समझौता अथवा प्रबन्ध करें : और

(ट)सभी आहूतियों ;ब्ंसेद्ध अथवा आहूति और ऋणों के दायित्वों तथा ऐसे दायित्वों के सम्बन्ध में जो परिणामतः ऋण में परिवर्तित हो सकते हों तथा वर्तमान अथवा भावी निश्चित या घटनाक्षेप सभी दावों के सम्बन्ध में, जो समिति तथा अंशदायी तथा अभिकथित अंशदायी या अन्य ऋणी के अथवा ऐसे व्यक्ति के जो अपने ऊपर सहकारी समिति का दायित्व आने की आशंका करता हो, मध्य विद्यमान हों या विद्यमान माने जाते हों, तथा ऐसे सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में जो किसी भी रूप में परिसम्पत्तियों से समिति के समापन से सम्बन्धित हो अथवा उन पर प्रभाव डालते हों ऐसी शर्तो पर तय हो जायें, समझौता करे और उक्त आहूति, दायित्व ऋण या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति लें और उसके सम्बन्ध में पूर्ण उन्मुक्ति दे ।

(3)जब किसी सहकारी समिति के कार्य समापित कर दिये गये हों, तो परिसमापक इसका प्रतिवेदन निबन्धक को देगा और समिति के अभिलेखों को ऐसे स्थान पर जहां निबन्धक निदेश दे जमा करेगा ।

(4)ऐसी धनराशि जिसके उपधारा (2) के अधीन समिति की परिसम्पत्तियों के लिए अंशदान (जिसके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं) यह समापन के व्यय के रूप में वसूल किये जाने का आदेश दिया गया हो, वसूली के लिए परिसमापक की प्रार्थना पर निबन्धक द्वारा कलेक्टर से तदर्थ अभियाचन किये जाने पर, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है ।

(5)कोई ऋण या दावा जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियत समय के भीतर प्रमाणित न किया गया हो, परिसमापक के इस अधिकार को वापस न करते हुये कि वह पर्याप्त कोरम बताये जाने पर उपयुक्त समय के बाद भी उसे प्रमाणित करने की अनुज्ञा दे दें, उन्मोचित समझा जायेगा ।

74 क—परिसमापक के लेखों का अंकेक्षणः—

(1) परिसमापक अपने कार्यकाल की अवधि में प्रत्येक वर्ष दो बार नियत प्रारूप पर प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करेगा, निबन्धक द्वारा लेखों का अंकेक्षण जैसा वह उचित समझे कराया जायेगा ।

(2) परिसमापक द्वारा अंकेक्षित लेखों का सारांश तैयार कराया जायेगा और इस सारांश की प्रति प्रत्येक अंशदायी ;ब्वदजतपइनजवतलद्ध को भेजी जायेगी ।

(3)परिसमापक द्वारा नियत रीति से लेखों और लेखे सम्बन्धी पुस्तकों के अंकेक्षण हेतु निबंधक द्वारा निदेशित शुल्क का भुगतान किया जायेगा ।

(4)परिसमापक समिति के परिसमापन सम्बन्धी कार्य सम्भालने के पश्चात् अंकेक्षण के दौरान या उसके परिणाम स्वरूप पायी गयी अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक अनियमितताओं के कारण तथा कतव्यों एवं कार्यो के निर्वहन में उपेक्षा और घोर चूक के फलस्वरूप समिति को घाटा हुआ हो या होने की सम्भावना हो ।

74 खः— शेष सम्पत्तियों का निस्तारण—

ऐसी समिति जिसका परिसमापन हो चुका है की परिसमापक द्वारा अपनी फाइनल रिपोर्ट में दर्शायी गयी शेष सम्पत्तियों का निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से उसके सदस्यों मे नियत रीति से वितरण किया जा सकता है या समिति की उपविधियों में हुये प्राविधान के अनुसार यदि उनमें विशिष्ट रूप से दिया हुआ है किसी या किन्हीं उद्‌देश्यों में प्रयोग किया जा सकता है अथवा दोनों उद्‌देश्यों के निमित्त प्रयोग में लाया जा सकता है । जहां शेष को सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता और समिति की उपविधियों में कोई व्यवस्था नहीं है । शेष सम्पत्तियां निबन्धक के अधिकार क्षेत्र में निहित हो जायेंगी जो उन्हें धरोहर (ट्रस्ट) के रूप में रखेगा तथा इसे ऐसी सहकारी समितियों के विकास के लिए अपने विवेकानुसार प्रयोग में लायेगा ।

75— समापन और विघटन के मामलों में वाद पर रोकः—

इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, कोई दीवानी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन या विघटन से सम्बन्धित किसी मामले का संज्ञान नही करेगा और यदि समापन का कोई आदेश पारित हो गया हो तो समिति के विरूद्ध निबन्धक की अनुमति के बिना अथवा उसके द्वारा आरोपित शर्तो के अनुसार अन्यथा कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

76— सहकारी समिति के निबन्धन का रद्‌द किया जाना —

यदि किसी ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में जिसे धारा 72 के अधीन समापित करने का आदेश दिया गया हो, निबन्धक की राय हो कि कोई परिसमापक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या यदि किसी सहकारी समिति को जिसके लिए कोई परिसमापक धारा 73 के अधीन नियुक्त किया गया हो, कार्य समापित कर दिये हों, तो निबन्धक समिति के निबन्धन को रद्‌द करने का आदेश

देगा और उस आदेश के दिनांक से समिति विघटित की गयी समझी जायगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान न रहेगी ।

अध्याय–11

सहकारी कृषि समितियां

77. सहकारी कृषि समितियों का निबन्धन–

(1) यदि पॉच अथवा अधिक व्यक्ति जो–

(क) किसी मण्डल (सर्किल) की भूमि में भूमिधरी अथवा सीरदारी के अधिकार धारण करते हों और भूमि को समुच्चय करना चाहते हों : अथवा

(ख) मिलकर समिति के नाम से किसी मण्डल के कय द्वारा , पट्टे या अन्य प्रकार से भूमि प्राप्त करने के अभिलाषी हों :

कृषि उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी हैं, से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये अथवा ऐसे प्रयोजन के साथ साथ उक्त प्रयोजन में किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये ऐसी भूमि का संयुक्त रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से समिति बनाते हैं, तो ऐसी समिति (जिसे आगे सहकारी कृषि समिति कहा गया है) यदि वह धारा 7 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और यदि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि पर अधिकांश क्रियायें समिति के सदस्यों द्वारा की जाती हों तो इस अधिनियम के अधीन एक सहकारी कृषि समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, भूमि के ही मण्डल में होने की अपेक्षा से मुक्त कर सकता है और ऐसी मुक्ति की दशा में यहां आगे मण्डल का अभिदेश उन मण्डलों का अभिदेश समझा जायेगा जिनमें सदस्यों द्वारा धृत या प्राप्त किये जाने के लिए वांछित भूमि स्थित हो ।

(2) निबन्धक, निबन्धन प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि और ऐसे अन्य लेख्य जो नियत किये जायं, कलैक्टर की ऐसी कार्यवाही के लिये, यदि कोई हो, जो नियत की जायें , भिजवायेगा ।

78–निबन्धन की कतिपय अपेक्षायें–

कृषि समिति के निबन्धन के लिये प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे :–

(क) अधिकार–अभिलेख के उद्धरण जिनमें उन सभी खेतों की, जो समिति को अंशदान के रूप में दिये जायेंगे, अभिलिखित संख्यायें तथा कुल क्षेत्रफल दिया हो:

(ख) धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाली समिति की दशा केवल उस भूमि वर्णन जिसे प्राप्त करना अभिप्रेत हो तथा उसे प्राप्त करने की रीति और उसके उपयोग तथा विकास करने की योजनाएं :

(ग) ऐसे अन्य लेख्य तथा विवरण, जो नियत किये जायें :

79—निबन्धन के परिणाम—

(1) जब कोई सहकारी कृषि समिति धारा 77 के अधीन निबन्धित हो तो मण्डल की उस समस्त भूमि जिसे कोई सदस्य धारण किये हों, यह समझा जायेगा कि वह सहकारी कृषि समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चली गयी है और तदुपरान्त वह समिति उस भूमि की धारा 77 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि पर लागू न होगी जिस पर प्रक्षेत्र/ गृह ;थ्ंतउ ीवनेमद्ध बनाया गया हो और न प्रक्षेत्र—गृह से संलग्न ऐसी भूमि पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक न हो और जिसे सदस्य समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना—पत्र देते समय, अपनी निजी जोत के लिए सुरक्षित रखने की इच्छा प्रकट करेः

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि सहकारी कृषि समिति के सदस्य का संयुक्त जोत में केवल अंश हो जो उस जोत में उसके अंश के सम्बन्ध में जब तक कि उक्त जोत के समस्त सहांशी ;ब्व. ैींतमतद्ध ऐसी समिति के सदस्य न हों, यह नहीं समझा जायेगा कि वह समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चला गया है, जब तक कि वह अपने अंश का बंटवारा न करा ले अथवा जब तक कि उक्त जोत के भाग पर उसका पृथक कब्जा न हो जायः

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा में दी गई किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी भूमिधर या सीरदार को उस भूमि में जो उसने सहकारी कृषि समिति की अंशदान के रूप में दी हो, जिसे, धारा 2 में की गई व्यवस्था को छोड़कर निहित नहीं रह गया है ।

स्पष्टीकरण—

इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि के अन्तर्गत बाग—भूमि अथवा वह भूमि न होगी जो किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा धारित हो तथा जिसका उपयोग उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन, जिनके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी हैं, से सम्बन्धित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अथवा ऐसे प्रयोजनों में सहायक किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिए किया जाता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि होगी जिसे भूमिधर अथवा सीरदार पूर्वोक्त

प्रयोजनों में किसी के लिए धारण किये हों, यदि यह प्रयोजन समिति के प्रयोजनों में से भी एक हो ।

(2) सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (3) में की गयी है, अपने द्वारा समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि का कोई निस्तारण ;क्पेचवेपजपवदद्ध करने का हकदार न होगा ।

(3) सहकारी कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसे अधिकारों या विशेषाधिकारों का हकदार होगा, ऐसे आभारों तथा दायित्वों के अधीन रहेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दिये जायें या उस पर आरोपित किये जायें ।

(4) सहकारी कृषि समिति के निबन्धित हो जाने के दिनांक से उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में, समिति के किसी सदस्य द्वारा देय समस्त अबवाब, स्थानीय कर, लगान या मालगुजारी , उससे (समिति से) वसूल किये जा सकते हैं । समिति द्वारा सदस्य की ओर इस प्रकार भुगतान की गई किसी धनराशि की वसूली वह उक्त सदस्य से करेगी ।

80—सदस्य का पागल हो जाना :—

यदि सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य पागल हो जाय, तो अपने अभिभावक ;ळनंतकपंदद्ध के माध्यम से सदस्य बना रह सकता है, जो उसकी ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानों वह स्वयं सदस्य हो ।

81— नये सदस्यों का प्रवेशः

(1) कोई व्यक्ति, जो उस मण्डल का जिसमें सहकारी कृषि समिति बनाई गयी हो, निवासी हो या उसमें बसने का विचार करता हो या उसमें खेती करता हो, ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन उस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हो ।

(2) कोई अव्यस्क अथवा पागल जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में भूमि धारण करता हो, यथास्थिति, अपने विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक ;ळनंतकपंदद्ध के माध्यम से उस मण्डल में किसी सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और ऐसी दशा में संरक्षक या अभिभावक, अव्यस्क या पागल की ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है, मानों स्वयं सदस्य हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर सदस्य बनाया जाय कि वह अंशदान के रूप में समिति को भूमि दे देगा, तो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में उसके द्वारा धारित भूमि समिति के कब्जे, नियंत्रण और प्रबन्ध में संक्रमित हो जायेगी और धारा 79 के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे ।

82— सदस्यता समाप्त होने का प्रभाव —

(1) इस अधिनियम तथा नियमों और उपविधियों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यदि कोई सदस्य जिसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में भूमि दी हो, सदस्य न रह जाय , तो उसके द्वारा अंशदान के रूप में दी गयी भूमि उसे लौटा दी जायेगी, अथवा समिति के पास शेष रहने वाली अथवा सदस्य को लोटाई जाने वाली भूमि की सघनता ;ब्वउचंबजदमेद्ध बनाये रखने की दृष्टि से उसे समान मूल्य की अन्य भूमि दे दी जायेगी जो समिति की या किसी अन्य सदस्य की हो जिसकी लिखित सम्मति ऐसे विनियोग के लिए प्राप्त कर ली गई हो :

प्रतिबन्ध यह है कि समिति ऐसे सदस्य से भूमि अपने द्वारा किये उन सुधार या क्रियाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति कराने की हकदार होगी जिनसे उत्पादन में लाभ या वृद्धि हो, अथवा जो उत्पादन में सहायक हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लौटायी जाने वाली भूमि धारा 86 के उपबन्धों के अधीन समिति द्वारा रखे गये बन्धक के अधीन हो तो समिति बहिर्गामी सदस्य को भूमि लौटाने के पूर्व ऐसे बन्धक से भूमि का मोचन प्राप्त कर लेगी और बन्धक—कर्ता समिति द्वारा बन्धक धन की अनुपातिक धनराशि का भुगतान करने पर भूमि को छोड़ देगा, भले ही सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 ;ज्तंदेमित व च्तिवचमतजल ।बज ए1882द्ध में कोई प्रतिकूल बात दी हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि समिति और बहिर्गामी सदस्य की पारस्परिक सम्मति से, समिति ऐसे सदस्य को भूमि के बदले, नियत रीति से अवधारित किया गया नकद प्रतिकर देगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को वापस मिली भूमि को वह उसी अधिकार से धारित करेगा जिससे वह समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि समिति की सदस्यता समाप्त होने के ठीक पूर्व धारित करता था, और यथास्थिति, समिति या किसी अन्य सदस्य को, उपधारा (1) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को दी गई भूमि के विनियम में रखी गयी भूमि में वही अधिकार, यदि कोई हो, प्राप्त होंगे जो इस प्रकार दी गई भूमि में समिति या सदस्य के थे ।

(3) कोई सदस्य, अपनी सदस्यता समाप्त होने पर, सहकारी कृषि समिति द्वारा किसी भी रीति से अर्जित भूमि पर या अन्य सम्पत्ति के किसी भाग के लिये दावा करने का हकदार न होगा, किन्तु इसमें दी गयी किसी बात से किसी ऐसे अंश का मूल्य पाने के उसके अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा जिसे पाने का हकदार वह इस अधिनियम के अधीन हो ।

83—दायाद सहकारी कृषि समिति के सदस्य होने के हकदार होंगे —

यदि किसी सदस्य की, जिसकी भूमि सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित हो, मृत्यु हो जाय, तो उसके दायाद ऐसी भूमि के सम्बन्ध में समिति के सदस्य हो जायेंगे और यदि कोई दायाद अव्यस्क या पागल हो, तो यथास्थिति उसका विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक उसकी ओर से इस प्रकार कार्य करेगा मकानों वह स्वयं सदस्य हो ।

84— सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित भूमि की चकबन्दीः—

प्रत्येक सहकारी कृषि समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी ;ब्वदेवसपकंजपवदद्ध के लिए कार्यवाही करे ।

85— लाभ का वितरण—

(1) धारा 58 के उपबन्ध, जहां तक वे उपधारा (2) और (3) से असंगत न हों, सहकारी कृषि समिति शुद्ध लाभों के उपयोग पर भी लागू होंगे ।

(2) सहकारी कृषि समिति अपने शुद्ध लाभों का कम से कम 1/ 20 भाग एक निधि में जमा करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी ।

(3)सहकारी कृषि समिति, अपने शुद्ध लाभों में से, अपने सदस्यों को, उनके द्वारा समिति की अंशदत्त भूमि तथा श्रम के सम्बन्ध में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से बोनस दे सकती है, जो नियत की जाय।

86—सहकारी कृषि समिति का अपने द्वारा धारित भूमि बन्धक पर ऋण देने का अधिकार— ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को कब्जा दिये हुये और सम्बद्ध सदस्यों से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात धारा 79 की उपधारा के अधीन अपने सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि को बन्धक रख सकती है, भले ही ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट 1882 या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।

87— सहकारी कृषि समिति के लिये रियायतें और सुविधायें :—

इस अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों को सामान्य रूप से मिलने वाली अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सहकारी कृषि समितियां ऐसी अन्य रियायतें, सुविधायें तथा पूर्वतायें पाने की हकदार होंगी, जो नियत की जायें और उसके अन्तर्गत अन्य रियायतों, सुविधाओं और पूर्वताओं के साथ—साथ निम्नलिखित हो सकती हैं —

(क) मालगुजारी में कमी,

(ख) सिंचाई कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये कर तथा कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल आयल, पेट्रोल तथा मोबिल आयल के कय पर बिकी– कर में कमी ,

(ग) तकावी देने में पूर्वता ,

(घ) राज्य सरकार द्वारा सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्वता ,

(ड.) सिंचाई क लिए जल सम्भरण और बीज, उर्वरक तथा कृषि उत्पादन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण करने में पूर्वता ,

(च) कृषि उपज के कय–विकय (मार्केटिंग) में पूर्वता ,

88– नियम बनाने का अधिकार–

(1) धारा 128 के अधीन बनाये गये नियमों के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है :–

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) ऐसे आधार, जिस पर सहकारी कृषि समिति किसी भूमिधर सदस्य को धारा 79 के अधीन उसकी भूमि का निस्तारण ;क्पेचवेपजपवदद्ध करने की अनुज्ञा कर सकती है ;

(ख) वे सिद्धान्त जिन पर तथा वह रीति जिसके अनुसार धारा 82 के अधीन व्यय तथा प्रतिकर का अवधारण किया जायेगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी अथवा उसका भुगतान किया जायेगा;

(ग) वे प्रपत्र जिनमें धारा 84 के अधीन प्रार्थना–पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायेंगी और प्रार्थना–पत्र तथा अपील के ज्ञापन–पत्र पर दिये जाने वाले न्यायालय शुल्क, यदि कोई हों, की धनराशि ;

(घ) वे सिद्धान्त तथा प्रकिया जिनका अनुसरण धारा 84 के अधीन जोतों की चकबन्दी करने, भूमि के विनियम ;म्गबींदहमद्ध के निर्देश देने और प्रतिकर का भुगतान करने में किया जायेगा;

(ड.) बहिर्गामी अथवा भूतपूर्व सदस्य की भूमि, निधियों, कृषि के काम आने वाले पशुओं और उपकरणों ;प्उचसमउमदजेद्ध के विषयों में दावों को चुकता करना, जिनका अंशदान उसने सहकारी कृषि समिति को किया है ;(च) सदस्यों द्वारा भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अंशदान तथा उसका मूल्यांकन और समायोजन ; ।करनेजउमदजद्ध;

(छ) सहकारी कृषि समिति के कार्य पर काम करने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करने के सिद्धान्त ;

(ज)कोई अन्य विषय जो इस अध्याय के अधीन नियत किये जाने हों तथा नियत किये जा सकें ।

89— इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

अध्याय– 11–क

बीमाकृत सहकारी बैंक

90– निर्वचन–

इस अध्याय में 'बीमाकृत सहकारी बैंक' का तात्पर्य डिपोजिट इनश्योरेन्स कारपोरेशन ऐक्ट 1961(ऐक्ट संख्या 47 व र्ा 1961) जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन किसी बीमाकृत सहकारी बैंक से है ।

90–क बीमाकृत सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले विशेष उपबन्ध–

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित उपबन्ध प्रत्येक बीमाकृत सहकारी बैंक पर लागू होंगे, अर्थातः–

(1) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प की स्वीकृति करने वाला कोई आदेश निबन्धक द्वारा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति मात्र से ही दिया जा सकता है ।

(2) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समापन का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 13–डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर इस नियम के उपबन्धों के अधीन दिया जायेगा ।

(3) यदि रिजर्व बैंक की राय हो कि लोकहित में या किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के कार्य–कलाप की ऐसी रीति से जो निक्षेपकों के हित के विरूद्ध हो, संचालन रोकने के लिए या ऐसे सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह निबन्धक से कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए जितनी रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय के (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) अवक्रमण का और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति का आदेश देने की अपेक्षा कर सकता है और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा और धारा 35 तथा 36 के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो आदेश धारा 35 के अधीन दिये गये हों, किन्तु प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का अवसर देने और समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने की उस धारा की अपेक्षायें लागू नहीं होंगी ।

(4) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी के सभापति या सदस्यों द्वारा धारा 35 (क) की उपधारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन अपना–अपना पद रिक्त करने की दशा में रिजर्व बैंक निबन्धक से ऐसे बैंक के कार्य–कलाप का प्रबन्ध करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा, और धारा 35 (क) के शेष

उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो आदेश उक्त धारा के अधीन दिया गया हो ।

(5) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना का संकल्प स्वीकृत करने वाले या रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या अपेक्षा पर बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) के अवक्रमण तथा उसके प्रशासक की नियुक्ति के आदेश पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(6) यथास्थिति, परिसमापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या अन्तररिती बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित धनराशि डिपाजिट इनश्योरेन्स कारपोरेशन को उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और सीमा तक और रीति से प्रति संदाय करने के लिए बाध्य होगा ।

अध्याय–12

अभिनिर्णय तथा आदेशों का निष्पादन

91– प्रभार का प्रवर्तन :–

अध्याय–9 में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी परन्तु इस अधिनियम के व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई राजपत्रित अधिकारी, सहकारी समिति के प्रार्थना–पत्र पर और ऋण अथवा शेष भाग के अस्तित्व के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर, आदेश दे सकता है कि किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य द्वारा समिति को देय किसी भी ऋण अथवा शेष मांग का भुगतान ऐसी सम्पत्ति को अथवा उसमें किसी ऐसे हित को जो धारा–39 के अर्न्तगत प्रभार के अधीन हो बेच कर दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि पर प्रार्थना–पत्र का नोटिस तामील न कर दिया गया हो और उसने नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर ऋण अथवा शेष भाग का भुगतान न कर दिया हो।

92–कतिपय आदेशों तथा अभिनिर्णयों का निष्पादन–

धारा–71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय जो नीचे दी गयी रीति से निष्पादन योग्य हो और धारा 67 या 68 की उपधारा (2) अथवा 91 के अधीन निबन्धक द्वारा या धारा 74 के अधीन परिसमापक द्वारा अथवा धारा 97 या 98 के अधीन अपील पर अथवा धारा 99 के अधीन पुनर्विलोकन पर या धारा 100 के अधीन विवादकालीन ;प्दजमतसवबनजवतलद्ध आदेश स्वरूप

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किये गये इस प्रकार के निष्पादन योग्य प्रत्येक आदेश (या धारा 95 (क) के अधीन जारी की गई किसी वसूली के लिए प्रमाण पत्र) का निष्पादन, यदि उसका पालन न किया गया हो–

(क)मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रचलित विधि द्वारा व्यवस्थित रीति से किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना–पत्र कलैक्टर को दिया जायेगा और उसके साथ निबन्धक द्वारा और उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कृत एक प्रमाण–पत्र भी रहेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा प्रार्थना–पत्र आदेश या अभिनिर्णय में भुगतान के लिए निश्चित दिनांक से और यदि ऐसा कोई दिनांक निश्चित न हो तो यथास्थिति आदेश या अभिनिर्णय के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर दिया जायेगा :

अथवा

(ख) निबन्धक या उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उसने तदर्थ अधिकृत किया गया हो उस व्यक्ति या सहकारी समिति की जिसके विरूद्ध आदेश या अभिनिर्णय दिया गया हो किसी सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किया जायेगा, अथवा

(ग) उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले दीवानी न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिया जायेगा, मानो ऐसा आदेश या अभिनिर्णय उसी न्यायालय की डिक्री हो ।

93– कतिपय प्रयोजनों के लिए निबन्धक या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति दीवानी न्यायालय होगा–

निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किसी धनराशि की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते समय अथवा ऐसी वसूली के लिए या ऐसी वसूली करने के सहायक उपाय अपनाने के लिए उसको दिये गये प्रार्थना–पत्र पर कोई आदेश देते समय इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1963 (ऐक्ट संख्या 36,व र्ा 1963) की अनुसूची के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय समझा जायेगा ।

94– अभिनिर्णय या आदेश के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की –

यदि निबन्धक या किसी प्रार्थना – पत्र , प्रतिवेदन या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जो इस अधिनियम के उपबन्धों के

अधीन उसके विरूद्ध दिया जाये प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा डालने के विचार से यथास्थिति, निबन्धक मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल अथवा परिसमापक के क्षेत्राधिकार से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग हटाने वाला है तो वह जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाय उक्त सम्पत्ति की कुर्की का निर्देश दे सकता है और ऐसी कुर्की का वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह सक्षम दीवानी न्यायालयय द्वारा की गयी हो ।

95— सरकार की देय धनराशियों की वसूली—

(1) सहकारी समिति से अथवा सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को देय समस्त धनराशियां, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी ऐसी सरकार को दिलाये गये व्यय भी हैं, निबन्धक द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण—पत्र पर मालगुजारी के बकाया की भांति वसूली की जा सकती है ।

(2) किसी समिति द्वारा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय तथा उपधारा—1 के अधीन वसूल की जाने योग्य धनराशियां प्रथमतः समिति की सम्पत्ति से द्वितीयतः ऐसी समिति की दशा में जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से उनके दायित्व की सीमा के अधीन रहते हुए, और तृतीयतः अन्य सदस्यों की दशा में, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से वसूल की जा सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व तथा मृत सदस्यों की सम्पदायें सभी दशाओं में धारा 25 के उपबन्धों के अधीन रहेंगी ।

95—क कृषि समिति के देयों की वसूली के लिए विशेष उपबन्ध—

(1) निबन्धक, धारा 34 में निर्दिष्ट समिति या कृषि ऋण समिति द्वारा किसी सदस्य को दिये गये किसी ऋण या उसकी किसी किस्त की बकाया की वसूली के लिए प्रार्थना—पत्र देने पर और ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर और ऐसी जांच यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् देय धनराशि की वसूली के लिए प्रमाण—पत्र जारी कर सकता है ।

(2)उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र अन्तिम और देयों का निश्चायक सबूत होगा जिसे धारा 92 के अधीन निष्पादित किया जा सकेगा ।

अध्याय— 13

अपील तथा पुनर्विलोकन

96— सहकारी न्यायाधिकरण—

(1) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन न्यायाधिकरण को प्रदान किये गये कृत्यों के सम्पादन के लिए न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है जिसमें से प्रत्येक सहकारी न्यायाधिकरण कहलायेगा, और यदि एक से अधिक न्यायाधिकरण गठित किये जायें तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर अथवा ऐसे मामलों का वर्ग जिसके ऊपर प्रत्येक न्यायाधिकरण, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, निश्चित कर सकती है।

(2)न्यायाधिकरण में ऐसी अर्हतायें रखने वाले जो नियत किये जायें तीन व्यक्ति होंगे ।

(3)यदि न्यायाधिकरण में तीन सदस्य हों तो, उसके कार्य निस्तारण के लिए किन्हीं दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनमें मतभेद होने की दशा में उस मामले को जिस पर मतभेद हो तीसरे सदस्य के समक्ष रखा जायेगा और उस मामले पर जिस मत से वह सहमत होगा वही न्यायाधिकरण का मत समझा जायेगा । यदि किसी मामले की न्यायाधिकरण के सभी तीन सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाय और मतभेद हो तो बहुमत अभिभावी होगा :

(4)न्यायाधिकरण के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति राज्य सरकार करेगी ।

(5)न्यायाधिकरण द्वारा बैठक बुलाने तथा कार्य निस्तारण करने की प्रक्रिया वही होगी, जो नियत की जाय ।

97— निबन्धक के अभिनिर्णय के विरूद्ध अपील —

(1) निबन्धक द्वारा धारा 71 के उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक से जब वह अभिनिर्णय उस व्यक्ति को संसूचित किया गया हो, पैंतालीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है ।

(2) इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है, जो न्यायपूर्ण समझे ।

98— अन्य अभिनिर्णयों, आदेशों तथा निर्णयों के विरूद्ध अपील—

(1) निम्नलिखित के विरूद्ध कोई अपील उस आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर, क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से की जा सकती है ;

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार किया गया हो ;

(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति की उप विधियों में किसी संशोधन से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इन्कार किया गया हो अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो।

(ग)किसी सहकारी समिति का निर्णय, जिसमें धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाने से इन्कार किया गया हो, अथवा धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन समिति के किसी सदस्य को निकाला गया हो : या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए या कोई पद धारण करने से अनर्हित करने के लिए किया गया कोई आदेश ;

(घ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य को निकालने या हटाने अथवा धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समिति के किसी अधिकारी को हटाने या अनर्हित करने का निबन्धक का कोई आदेश ;

(ङ.) धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त करने का निबन्धक का आदेश ;

(च) धारा 65 के अधीन की गई किसी जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये किसी निरीक्षक के व्ययों को विभाजित करने का धारा 67 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश ।

(छ)धारा 68 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया अधिभार का कोई आदेश ।

(ज) धारा 71 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा किया गया कोई अभिनिर्णय ;

(झ) धारा 72 के अधीन निबन्धक द्वारा किया गया कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति के समापन ;ठपदकपदहनचद्ध का निर्देश दिया गया हो ;

(ञ) धारा 74 के खण्ड (ख) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया कोई आदेश;

(ट) धारा 92 के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे प्रश्न पर जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (एक्ट संख्या 5, 1908) की धारा 47 में निर्दिष्ट प्रकार का हो, निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश ;

(ठ) धारा 94 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सम्पत्ति की कुर्की के लिए दिया गया आदेश ;

(ड) निबन्धक का धारा 125 के अधीन कोई आदेश जिसमें समामेलन या विलयन का निदेश दिया गया हो :

(ढ) धारा 126 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी संकल्प को रद्द करने या किसी आदेश को निरस्त करने के लिए दिया गया आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर क्षुब्द पक्ष द्वारा उपधारा 2 में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से अपील की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ड.), (च), (छ) (ट), और (ठ) के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायेंगी, और उक्त उपधारा के खण्ड (क), (ख), (ज), (झ) , (ञ), (ड) और (ढ) के अधीन, अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेंगी –

(क) यदि निर्णय या आदेश निबन्धक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को, अथवा

(ख) यदि निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो निबन्धक को ,

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार गजट में विज्ञाप्ति द्वारा , यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा (1) के खण्ड (ज) में उल्लिखित अभिनिर्णय के विरूद्ध अपील ऐसे मामलों अथवा, मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में, जो उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जायें, न्यायाधिकरण को की जायेगी और तदोपरांत ऐसे अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

99–क– न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षण ;त्मअपेपवदद्ध.

न्यायाधिकरण किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख जिसके विरूद्ध उसके यहां अपील की जा सकती हो, मंगा सकता है और उसका परीक्षण पारित किसी निर्णय अथवा आदेश की वैधानिकता या औचित्य के सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट करने हेतु कर सकता है और यदि न्यायाधिकरण को ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसे निर्णय अथवा आदेश को संशोधित किया जाना है, निरस्त किया जाना चाहिए, न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में जैसा उचित समझे, वैसा आदेश पारित कर सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत न्यायाधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी –

(अ) यदि निर्णय या आदेश के विरूद्ध की जाने वाली अपील का समय समाप्त नहीं हुआ है अथवा

(ब) निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन उस समय तक कोई आदेश नही दिया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

99—खः अपीलीय अधिकारों के आदेश का पुनर्विलोकन—

(1) यथास्थिति धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन , प्राधिकारी किसी पक्ष के प्रार्थना—पत्र पर, किसी भी मामले में आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना—पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अपीलीय प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि किसी ऐसे नवीन महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का पता लगा है, जो उचित अध्यव्यवसाय के पश्चात भी प्रार्थी की जानकारी में नहीं थी, अथवा वह उसे उस समय प्रस्तुत नहीं कर सकता था जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था अथवा यह समाधान न हो जाये कि ऐसी कोई गलती या त्रुटि हुई है जो अभिलेख में प्रत्यक्ष है अथवा यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण विद्यमान है ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन उस समय तक कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(2) किसी पक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रार्थना—पत्र अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश के , जिसका पुनर्विलोकन अवांछित हो, संसूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर दिया जायेगा ।

99—ग निबन्धक एवं सरकार के पुनरीक्षण (रिवीजन)सम्बन्धी अधिकार—

(1) निबन्धक स्वतः अथवा किसी प्रार्थना—पत्र पर अपने अधीनस्थ किसी भी ऐसे अधिकारी के जो निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, के विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख मांग सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है , सरकार स्वतः अथवा किसी प्रार्थना—पत्र पर निबन्धक तथा ऐसे अधिकारी जो निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, के ऐसे विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख जिनके विरूद्ध धारा 98 में न्यायाधिकरण को अपील का प्राविधान नहीं है मांग सकती है और उनका परीक्षण अपने को यह सन्तुष्ट करने के लिए किया जा सकता है कि लिया गया निर्णय या पारित आदेश नियमित है, ठीक है, वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण है, यदि निबन्धक अथवा सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी निर्णय या आदेश को संशोधित करना, आलोपित करना,

परिवर्तित करना, पुनर्विचार हेतु वापिस करना आवश्यक है, तो निबन्धक अथवा सरकार तदनुसार आदेश पारित कर सकते हैं ।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक या सरकार को इस धारा के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा विधिक कार्यवाही, निर्णय या आदेश की प्राप्ति के 3 माह के भीतर प्रेषित किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपना प्रतिवेदन देने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता ।

(3) निबन्धक या सरकार जैसा भी हो उपधारा (1) के अर्न्तगत अपने अधिकारों के प्रयोग की लम्बित दशा में किसी निर्णय या आदेश के कियान्वयन को रोक सकता है ।

(4)निबन्धक या सरकार जैसा उचित समझे समिति की धनराशियों से या ऐसे पक्षकार जिसके द्वारा पुनरीक्षण (रिवीजन) हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया हो से इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही का व्यय भुगतान करने हेतु निर्णय दे सकते हैं ।

100– अन्तरिम आदेश–

यदि अपील धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन की गयी हो , तो अपीलीय प्राधिकारी, न्याय की रक्षा के लिए अपील का निर्णय होने तक के लिए ऐसे विवादकालीन आदेश दे सकता है , जो वह उचित समझे ।

101– अपीलों का संक्रमण–

(1) राज्य सरकार, किसी पक्ष के प्रार्थना–पत्र पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात धारा 97 के अधीन प्रस्तुत अपील को एक न्यायाधिकरण से किसी अन्य न्यायाधिकरण को संक्रमित कर सकती है ।

(2)राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों के निबन्धक के समक्ष विचाराधीन धारा (98)के अधीन कोई अपील करने को संक्रमित कर सकती है और उसे निस्तारित कर सकती है ।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक कोई अपील धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करने वाले एक अधिकारी से तत्सदृश अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी को संक्रमित कर सकता है अथवा ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील स्वयं अपने को संक्रमित कर सकता है, और उसे निस्तारित कर सकता है ।

102– आदेशों और निर्णय / अभिनिर्णयों का अन्तिम होना–

धारा 71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय और धारा 98 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार का आदेश, जब यथास्थिति धारा 97 या धारा 98 के अधीन ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील न की गई हो तथा धारा 99 के अधीन रहते हुए उक्त धारा के अधीन होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अध्याय–13 क

उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद

102(क). उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद का गठन एवं उसके कार्य–

(1) उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद के नाम से एक काउन्सिल (परिषद) होगी जिसमें सभापति एवं उप सभापति को सम्मिलित करते हुए उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तय एवं नामित किये जायें ।

(2) राज्य सरकार द्वारा काउन्सिल (परिषद) में एक सचिव की नियुक्ति की जायगी ।

(3) उपधारा (1)में गठित काउन्सिल (परिषद) के निम्नांकित कार्य होंगे –

(क)राज्य सरकार को सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित सभी मामलों में सलाह देना,

(ख)सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करना एवं राज्य की सहकारी समितियों के कियाकलापों में सम्मनवय स्थापित करने हेतु उपाय सुझाना,

(ग)सहकारी समितियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ मार्गदर्शन देना, एवं अन्य उपायों का संकेत करना ।

(घ)ऐसे मामलों में राज्य सरकार को संसूचित करना जो इसे संदर्भित किये जायें ,

(ड.)राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास हेतु योजनाओं तथा नीतियों के सम्बन्ध में अनुशंसा करना ,

(च) वर्तमान योजनाओं का मूल्यांकन एवं सहकारी विकास की नई योजनाओं को सुझाना जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों का विकास हो सके ।

(छ)राज्य सरकार को सहकारी ढंग से आर्थिक विकास की विशेष योजना के कार्यान्वयन में सुझाव देना एवं

(ज)ऊपरोक्त किन्हीं उद्देश्यों हेतु विभाग अथवा विशिष्ट संघटनों के माध्यम से अध्ययन करना ।

(4) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्न के सम्बन्ध में प्राविधान करेगी–

(अ)काउन्सिल (परिषद) की बैठकें बुलाने एवं ऐसी बैठकों की कार्य पद्धति

(ब) काउन्सिल (परिषद) सचिव के कर्तव्य,

(स) काउन्सिल (परिषद) की उप समितियां एवं,

(द) काउन्सिल (परिषद) कार्यालय के सदस्यों की अवधि, यात्रा एवं दैनिक भत्ता जो अनुमन्य होगा

I– परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष होगा ।

II– परिषद में अधिकतम 11 सदस्य होंगे ।

III–परिषद का एक सचिव होगा जो अपर निबन्धक सहकारी समितियां के पद से से निम्न न होगा ।

अध्याय–14

अपराध और शास्तियां

103– अधिनियम के अधीन अपराध –

(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि–

(अ) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसका कोई सदस्य या अधिकारी,, निबन्धक या निबन्धक द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा , जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पद से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उचित कारण के बिना अपेक्षित कोई विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत न करे या जानबूझ कर मिथ्या विवरणी तैयार करे या मिथ्या सूचना दे या समुचित लेखे न रखे, या

(ब) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य सहकारी समिति की बहियों, पत्रादि या प्रतिभूतियों को कपटपूर्ण ढंग से नष्ट करे, विकृत करे, परिवर्तन करे या कूटकरण करे या उनके नाश, विकृति परिवर्तन, कूटकरण के लिए अभिप्रेरित करे या किसी समिति के रजिस्टर, लेखा–बही या लेख्य में कोई मिथ्या प्रविष्टि करे या करने के लिए अभिप्रेरित करें, या

(स) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई अधिकारी जिसके कब्जे में समिति की बहियां , अभिलेख या सम्पत्ति हो, समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों और सम्पत्ति की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति को सौंपने से इन्कार करे या उचित कारण के बिना न सौंपे जो इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन उन्हें लेने के लिए विधितः हकदार हो, या

(द) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या कोई अधिकारी उचित कारण के बिना अपने कर्मचारियों के लिए धारा 63 के अधीन अपेक्षित अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना न करे,

(य)सहकारी समिति का कोई अधिकारी ऐसे लेखे और रजिस्टर न रखे जो नियत किये जायें, या

(र) सहकारी समिति का कोई ऐसा अधिकारी या सदस्य , जिसके कब्जे में सूचना, बहियां और अभिलेख हों, लेखा परीक्षा के लिए धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अथवा निबन्धक या धारा 64, 65,66, 73, या 123 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्तियों को उचित कारण के बिना उक्त सूचना न दे या बहियां और पत्रादि प्रस्तुत न करे या सहायता न दे, या

(ल) कोई सेवायोजक पर्याप्त कारण के बिना किसी सहकारी समिति को, धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा कटौती की गई धनराशि का उस दिनांक से , जब वह कटौती की गई हो, 14 दिन की अवधि के भीतर भुगतान न करे , या

(व) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य या कार्यलोप करे जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो ।

(2) (क) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड अ, द, य, ल या व के अधीन अपराध करे उसे सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ दण्ड दिया जायगा,जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है जो नियमों के अधीन अपराध हो, व नियमों में यथा उपबन्धित दो वर्ष से अनधिक कारावास से या दस हजार रूपये से अनधिक के अर्थदण्ड से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(ख)कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) से खण्ड (ब), खण्ड (स) या खण्ड (र) के अधीन अपराध करता है, दोष सिद्ध पर किसी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है ।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा ।

104– अर्थदण्ड –

कोई भी व्यक्ति जो धारा (8) की उपधारा (2) या धारा 106 (धारा 8 अथवा धारा 106 के उल्लंघन के लिए शास्ति) के उपबन्धों का उल्लंघन करे, अर्थदण्ड से दण्डनीय हो जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें दोषसिद्ध के पश्चात अपराध जारी रखा जाय, एक सौ रूपया होगा ।

104–क–अपराधों का शमनः–

(1) निबन्धक, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, शमन, अभियोग संस्थित किये जाने से पूर्व एवं पश्चात् प्रशमन शुल्क की ऐसी धनराशि वसूल करने के पश्चात् कर सकता है

जैसा वह उचित समझे और वह अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो प्रशमन शुल्क अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माने की धनराशि से अधिक नहीं होगा ।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन–

(क)अपराध संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाय, वहां अपराधी को ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा ,

(ख)अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय वहां ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त को दोषमुक्ति होगा ।

105– अपराध संज्ञान–

(1) न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नही करेगा ।

(2)निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन ;च्तवेमबनजपवदद्ध संस्थित नही किया जायेगा और ऐसी स्वीकृति उस व्यक्ति को जिसे अभियोजित करना हो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी ।

अध्याय– 15

विविध उपबन्ध

106– शब्द '' सहकारी '' या '' को–आपरेटिव '' का प्रयोग करने की प्रतिषेध–

सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम से जिसमें शब्द ''सहकारी'' या उसका अंग्रेजी पर्याय ' को–आपरेटिव' हो व्यापार या कारोबार में नहीं करेगा ।

107– सहकारी समिति का पता–

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का नियत रीति से निबन्धित एक पता होगा और सभी नोटिस और पत्र समिति को इस पते पर भेजे जा सकेंगे । समिति अपने पते में किसी परिवर्तन का नोटिस ऐसा परिवर्तन के 30 दिन के भीतर निबन्धक को भेजेगी ।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां कोई कारोबार करती हो, अपना नाम और अपने निबन्धित कार्यालय का पता इस अधिनियम के अधीन निबन्धित शब्द के साथ सुपाठ्य अक्षरों में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगी और उनका उल्लेख निम्नलिखित में भी करेगी :–

(क) समस्त सूचनाओं और उसके द्वारा प्राधिकृत प्रकाशनों में ,

(ख)समस्त कारोबार संविदाओं, कारोबार सम्बन्धी पत्रों, माल के लिए आदेशों, बीजकों, लेखा विवरणों, प्राप्तियों और साथ में , और

(ग)समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों ,पृष्ठांकनों, चेकों और धन लिये आदेशों में जिन्हें वह हस्ताक्षरित करे, या जो उसकी ओर से हस्ताक्षरित किये जायं ।

108— अधिनियम आदि की प्रतियां निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जानाः—

प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, अपनी उपविधियों, अन्तिम संपरीक्षित वार्षिक तुलन पत्र, लाभ और हानि का लेखा और साधारण अधिवेशनों की कार्यवाही की एक प्रति सभी उचित समयों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए समिति के निबन्धित पते पर उपलब्ध रखेगी ।

109— कतिपय मामलों में न्यायाधिकरणों आदि को दीवानी न्यायालय के अधिकार—

(1) किसी विवाद का निर्णय, किसी जांच या निरीक्षण अपील की सुनवाई या किसी दावे की छानबीन करते समय निबन्धक, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण अथवा परिसमापक को निम्नलिखित विषयों में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (ऐक्ट संख्या 5,व र्ा 1908) के अधीन किसी विवाद पर विचार करते समय दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं, अर्थात—

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना,

(ख) किसी लेख्य को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ,

(ग) शपथ—पत्रों द्वारा तथ्यों की सिद्धि , और

(घ) साक्षियों के बयान देने के लिए कमीशन निकालना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ—पत्र पर शपथ यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या परिसमापक के समक्ष, अथवा निबन्धक या न्यायाधिकरण द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष ली जा सकती है ।

110— न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक :—

इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा :—

(क) किसी सहकारी समिति का या उसकी उपविधियों या उपविधि के किसी संशोधन का निबन्धनः

(ख) किसी प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण अथवा निलम्बन

(ग) धारा 70 के अधीन निबन्धक को अभिर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित विवाद :

(घ) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश या अभिनिर्णय ।

111— निबन्धन की शर्तो से समितियों को छूट देने का अधिकार :—
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, , राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तो के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें वह आरोपित करे, किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबन्धन विषयक किसी भी अपेक्षा से छूट दे सकती है ।

112— अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील—
सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या दिया गया प्रत्येक आदेश किसी व्यक्ति पर उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान का ठीक से पता लिखकर और रजिस्ट्री डाक द्वारा ऐसा पत्र भेजकर, जिसमें नोटिस या आदेश हो, तामील किया जा सकता है और जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये वह तामील उस समय की हुई समझी जायेगी जब पत्र सामान्य क्रम में उसके पास पहुंच जाता ।

113— वादों के लिए नोटिस का होना आवश्यक :—
समिति के संघटन, प्रबन्ध या कारोबार से सम्बन्धित किसी कार्य के सम्बन्ध में सहकारी समिति या उसके किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि निबन्धक को ऐसा लिखित नोटिस जिसमें वादकरण, वाद का कारण, वादी का नाम, वर्णन और निवास—स्थान और उसके द्वारा अभियाचित अनुतोष दिया हो, दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात दो मास व्यतीत न हो गये हों और वाद—पत्र में इस बात का प्राक्कथन भी होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है एवं निबन्धक द्वारा उस पर आदेश पारित कर दिये गये हों

113—क—कतिपय मामलों में मुकदमों पर होने वाले व्यय का नियंत्रण —
धारा 29, धारा 34 , धारा 35, या धारा 35 (क) के अधीन निबन्धक या राज्य सरकार के आदेश द्वारा जो आदेश दिया जाये या दिया जाना संभावित हो उसके विरूद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा किसी न्यायालय में दायर की गई या संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों का खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय, राज्य की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा ।

114— कतिपय त्रुटियो के कारण सहकारी समितियों के कार्य अमान्य नहीं किये जायेंगे—

किसी सहकारी समिति या किसी प्रबन्ध कमेटी या किसी सहकारी समिति के अधिकारों का कोई कार्य केवल इस कारण अमान्य नही समझा जायेगा कि समिति या कमेटी के संघटन में, या किसी अधिकारी की नियुक्ति या उसके निर्वाचन में कोई त्रुटि हो गयी है, या इस आधार पर कि उक्त अधिकारी ऐसी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए अनर्हित था ।

115– प्रमुक्ति :–

कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक, कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यासी, निबन्धक या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, परिसमापक, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या उसके किसी सदस्य के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती जो सद्भावना से इस अधिनियम के अधीन किया गया हो या किया गया संभावित हो ।

116– सहभागिता एवं संयुक्त उद्यम :–

(1) समितियों की सहभागिता–

निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से कोई दो या दो से अधिक समितियां, जिनके प्रत्येक की सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों ने तीन चौथाई बहुमत से संकल्प पारित किया हो कोई विशिष्ट व्यवसाय अथवा व्यवसायों को करने हेतु सहभागिता में प्रविष्ट कर सकती है । प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सदस्य को पूरे दस दिन का लिखित नोटिस बैठक की तिथि एवं प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिया गया हो ।

इस प्रकार की सहभागिता पर भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का कुछ भी प्राविधान लागू नहीं होगा ।

(2) समितियों द्वारा संयुक्त उद्यम–

(1) कोई समिति या समितियां राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों के साथ किसी विशिष्ट व्यवसाय या व्यवसायों जिसमें औद्योगिक विनियोग, वित्तीय सहायता या विपणन एवं प्रबन्धकीय दक्षता सम्मिलित हो संयुक्त उद्यम में प्रविष्ट हो सकती है ।

(2) राज्य सरकार किसी समिति या समितियों को उप–धारा (1) के अर्न्तगत संयुक्त उद्यम की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व निम्न विषयों पर यथोचित ध्यान देगी, जैसे :–

क– योजना आर्थिक दृष्टि से स्वाश्रयी है,

ख– इसका कार्यान्वयन संबन्धित समिति या समितियों के सहकारी चरित्र के बिना क्षरण के किया जा सकता है एवं

ग– योजना, समिति के सदस्यों एवं सम्बन्धित समितियों के हितों को आगे बढ़ाने में या जनहित में और सामान्य रूप से सहकारी आन्दोलन के हित में है।

117–सहायक संगटनों का प्रवर्तनः–

(1) कोई सहकारी समिति अपने स्थित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु सामान्य निकाय बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर सहायक संगटन या सहायक संगटनों को प्रवर्तित कर सकती है और इस प्रकार के संगटन सामान्य निकाय की सहमति के आधार पर वर्तमान में प्रभावी किसी कानून में पंजीकृत हो सकते हैं ।

(2) ऐसे किसी सहायक संगटन का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अभिलेख, प्रवर्तन करने वाली सहकारी समिति की वार्षिक बैठक में प्रति वर्ष रखा जायेगा ।

118– पुनर्निमाण परिषदः–

जब कोई भीर्ा / केन्द्रीय सहकारी समितियां निरन्तर घाटे पर हों और घाटे जहां इतने हों कि उनके द्वारा समस्त अंशपूंजी खाई जा चुकी हो और परिसम्पत्तियों में इतनी कमी आ चुकी हो कि दायित्वों का भुगतान करने में वह समर्थ न हो, तब, ऐसी समितियों का विघटन करने के पूर्व उनके मामलों को निबन्धक द्वारा पुनर्निर्माण परिषद को यह परीक्षण करने हेतु संदर्भित किया जा सकता है कि क्या इस प्रकार की समितियां पूंजी विनिवेश एव तकनीकी सहायता अथवा किसी अन्य तरीके से पुनर्जीवित की जा सकती हैं । पुनर्निमाण परिषद में निम्न सदस्य होंगे –

1– उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक का प्रबन्ध निदेशक,
अध्यक्ष

2–संस्थागत वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप–निदेशक के पद से नीचे का न हो,
सदस्य

3–अंकेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी से नीचे न होगा–
सदस्य

4–लीड बैंक का एक प्रतिनिधि जो सहायक प्रबन्धक पद से नीचे का न हो–
सदस्य

5–राज्य सरकार के सहकारिता विभाग का एक प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी,वर्ग–1
से नीचे का न हो –
सदस्य

6–राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उप–सचिव पद से नीचे का न हो – सदस्य

7–निबन्धक सहकारी समितियों के मुख्यालय का उप–निबन्धक या सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां जिसे निबन्धक द्वारा नामित किया जाय–

सदस्य–सचिव

पुनर्निर्माण परिषद अपने को संदर्भित किये मामलों में विचार करेगी और सुविचारित अपनी अनुशंसायें विस्तार मे निबन्धक के माध्यम से राज्य सरकार को यह स्पष्ट करते हुए कि समिति का विघटन होना चाहिये अथवा इसका पुर्नगठन या पुनर्निर्माण किया जा सकता है, भेजेगी । यदि पुनर्गठन या पुनर्निर्माण की अनुशंसा होती है तो पूरा पैकेज– पूंजी विनिवेश, तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं अन्य सरकारी एवं संस्थाओं की सहायताओं के विषय में परिषद द्वारा प्रस्ताव सरकार को निर्णय हेतु भेजा जायेगा । सरकारी निर्णय के पश्चात निबन्धक के स्तर पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रारम्भिक समितियां जो निरन्तर हानि में चल रही हों , के पुनर्निमाण के लिए निबन्धक एक जिला पुनर्निमाण समिति बनायेगा तथा उक्त समिति में लिये गये निर्णयों के अनुरूप जिले की इस प्रकार की समितियों का पुनर्निमाण सुनिश्चित किया जाएगा ।

119— शीर्ष समितियों के कृत्य—

कोई शीर्ष समिति , अपने संघटकों / सदस्यों की सेवा के लिए और अपनी उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात :—

(क) सहकारी सिद्वान्तों के पालन के लिए उपाय करना,

(ख) सहकारी समितियों को समाश्रित और संगठित करना और इस प्रयोजन के लिए आदर्श उपविधियां बनाना, विनियम बनाने के लिए, मार्ग—दर्शक सिद्वान्त और विचारण के लिए नीतियां बनाना ।

(ग) सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण, शिक्षण और सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्वान्तों का प्रचार करना,

(घ) अनुसन्धान और मूल्यांकन करना और सदस्य सहकारी समितियों की भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना,

(ड) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना ,

(च) सदस्य सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सहकारी समितियों के अनुकूल नीतियों और विधायन के लिए प्रयास करना,

(छ) अपने सदस्यों की ओर से कारोबारी सेवाएं प्रदान करना ,

(ज) प्रबन्ध कमेटी की बैठकों में जिनमें सदस्य सहकारी समितियां आमंत्रित की जाती हैं, भाग लेने के साथ ही सदस्य सहकारी समितियों को सहयोग और प्रबन्धकीय विकास सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना ,

(झ) सदस्य सहकारी समितियों के साधारण अधिवेशनों के नियमित संचालन में सहायता करना,

(ट) अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता विकसित करना ,

(ठ) अपने सदस्यों के लिए समक्षमता के मापदण्ड विकसित करना,

(ड) अपने सदस्यों को विधिक सहायता और सलाह उपलब्ध करना,

(ढ) अपने सदस्यों के हित में कोई अन्य सेवा उपलब्ध कराना ,

120— सहकारी समितियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) सचिव, प्रबन्धक आदि के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं —

(1) कोई सहकारी समिति किसी व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव), सचिव, प्रबन्धक, लेखाकार या किसी ऐसे अन्य अधिकारी के रूप में, जिसे समिति द्वारा वेतन या पारिश्रमिक दिया जाना हो तब तक नियुक्ति न करेगी जब तक कि उसमें ऐसी अर्हताएं न हों, और

ऐसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, न दे दे जो निबन्धक किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया हो, निबन्धक द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

121— निबन्धक का समितियों में सेवायोजन की शर्ते अवधारित करने का अधिकार—

(1) निबन्धक किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तो को, जिनके अर्न्तगत ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण भी है, विनियमित करने के लिए समय—समय पर विनियम बना सकता है और कोई समिति, जिस पर वे शर्ते प्रवृत्त होती हों, उन विनियमों का तथा निबन्धक के ऐसे आदेशों का जो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिये जायें, पालन करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम गजट में प्रकाशित किये जाायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे ।

122— सहकारी समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने वाला प्राधिकारी —

(1) राज्य सरकार ऐसी रीति से जो नियत की जाये, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण के लिए प्राधिकारी या प्राधिकारियों का संघठन कर सकती है और ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों से इस बात की अपेक्षा कर सकती है कि वह या ऐसे कर्मचारियों की भर्ती उपलब्धियों और सेवा की शर्तो के सम्बन्ध में , जिनके अर्न्तगत अनुशासनिक नियंत्रण भी हैं, और धारा 70 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति के कर्मचारी तथा समिति के विवादों में निपटाने के सम्बन्ध में विनियम बनायें ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन होंगे और ऐसे अनुमोदन के पश्चात् गजट में प्रकाशित किये जायेंगे तथा प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे और धारा 121 के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों का अतिक्रमण नहीं करेंगे ।

(3) वर्ग 3, 4, में सीधी भर्ती हेतु चयन जिला स्तर पर निबन्धक द्वारा गठित कमेटी तथा निर्धारित प्रकिया द्वारा किया जायेगा।

(4) वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के सीधी भर्ती के पदों पद नियुक्ति हेतु गठित चयन कमेटी में सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी समिति का सभापति भी एक सदस्य होगा ।

122—क— कतिपय सेवाओं का केन्द्रीयकरण :—

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी,, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे ऐसी सहकारी समितियों के लिए सर्वमान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में भर्ती, नियुक्ति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को हटाने की प्रणाली और उसकी सेवा की अन्य शर्तो को नियत कर सकती है :

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय, तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक को ऐसी समितियों के सभी कर्मचारियों को ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक से सेवा में स्थायी रूप से आमेलित समझा जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और उस दशा में समिति में उसकी सेवायें ऐसे नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह समिति में ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो –

क– किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में, उसके तीन मास के या सेवा की शेष अवधि के , जो भी कम हो वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा ,

ख– किसी अस्थाई कर्मचारी की दशा में , उसके एक मास के या सेवा की शेष अवधि के जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अस्थाई रूप से आमेलित कर्मचारी सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, यदि वह निबन्धक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अन्वीक्षण के पश्चात् उपयुक्त पाया जाये और किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाएं जिसे सेवा में आमेलित के लिये उपयुक्त न पाया जाये, विहित प्राधिकारी द्वारा और जब तक ऐसा प्राधिकारी विहित न किया जाये निबन्धक के ऐसे अनुदेशों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस निमित्त आदेश जारी करने के दिनांक से समाप्त हो जायेगी, और वह उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) में निर्धारित प्रतिकर का स्थायी या अस्थायी कर्मचारी होने के अनुसार हकदार होगा ।

123– सहकारी समितियों के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए सहकारी संघ प्राधिकारी का संघटन या उसे मान्यता देना–

(1) राज्य सरकार, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के पर्यवेक्षण के लिये एक या अधिक सहकारी संघ प्राधिकारियों को ऐसी रीति से जो नियत की जाये और शर्तो के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार आरोपित करे, संघटित कर सकती है, अथवा उसे या उन्हें मान्यता दे

सकती है तथा ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को नियत रीति से ऋण अथवा सहायता दे सकती है ।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उपधारा (1) में उल्लिखित प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा समितियों के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में किये जाने वाले सम्भाव्य व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिपूर्ति ;त्मबवनचउमदजद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष ऐसी धनराशि का अंशदान करे जो निबन्धक द्वारा निश्चित की जाय ।

(3) सहकारी समिति, जिस पर उपधारा (2) प्रवृत्त हो, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाय, ऐसे अंशदान का भुगतान करेगी जो उक्त उपधारा के अधीन निश्चित किया जाय, और यदि उक्त समय के भीतर उक्त भुगतान न करे तो वह धनराशि प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा निबन्धक के माध्यम से उस जिले के, जिसमें बाकीदार सहकारी समिति का निबद्ध कार्यालय स्थित हो तो, कलेक्टर को अधियाचन करने पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा ।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों का कोई अधिकारी या अधिकारीगण निबन्धक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा ऐसी सहकारी समिति या सहकारी समिति वर्ग का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है या किये जा सकते हैं जिसका या जिनका पर्यवेक्षण उपधारा (1) के अधीन संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सौंपा गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकार अथवा ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने में निबन्धक के सामान्य पथ प्रदर्शन अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन काम करेंगे और निरीक्षण के परिणाम की सूचना निबन्धक को देंगे ।

124– निबन्धक तथा अधिकारी लोक सेवक होंगे –

निबन्धक अथवा कोई व्यक्ति जो धारा 64 के अधीन लेखा–परीक्षण करने के लिए या धारा 65 के अधीन जांच करने के लिए या धारा 66 के अधीन निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हो या जो निरीक्षण करने के लिए धारा 123 के अधीन प्राधिकृत हो, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य जिसे धारा 71 के अधीन कोई विवाद अभिर्दिष्ट किये जायें, अथवा न्यायाधिकरण का कोई सदस्य या परिसमापक या कोई व्यक्ति जो कुर्की और विक्रय के लिए धारा 93 के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत हो इण्डियन पैनल कोड (एक्ट संख्या 45, व ा 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक ;च्नइसपब ेमतअंदजद्ध समझे जायेंगे ।

125– वसूल न की जाने वाली परिसम्पत्तियों का बट्टे खाते में डाला जाना –
सहकारी समिति निबन्धक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी सम्पत्तियों को बट्टे खाते में डाल सकती है, जो अशोध्य हों, और वसूल न की जा सकती हों , प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के अन्दर इसकी स्वीकृति निबन्धक द्वारा दी जायगी अथवा अस्वीकृति की दशा में कारण सम्बन्धित समिति को संसूचित किया जायेगा ।

126– कतिपय मामलों में सहकारी समिति के संकल्पों को निष्प्रभाव करने या सहकारी समिति के किसी अधिकारी के आदेश को रद्द करने का निबन्धक का अधिकार :–

निबन्धक–

(1) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसके सामान्य निकाय द्वारा पारित किसी संकल्प को निष्प्रभाव ;।ददनसद्ध कर सकता है, या

(2) सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को रद्द कर सकता है ।

यदि उसकी यह राय हो कि यथास्थिति, संकल्प या आदेश समिति के उद्देश्यों के अर्न्तगत नहीं है या अधिनियम, नियमों अथवा समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल है तदुपरान्त प्रत्येक संकल्प या आदेश शून्य ;टवपकद्ध तथा अप्रवर्ती ;प्दवचमतंजपअमद्ध हो जायेगा और समिति के अभिलेखों से निकाल दिया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, कोई आदेश करने के पूर्व सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी सामान्य निकाय या अधिकारी से, ऐसी अवधि जो वह निश्चित करे किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम न होगी, के भीतर यथास्थिति, प्रस्ताव पर या आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा करेगा, और यदि वह ठीक समझे तो ऐसी अवधि के दौरान उस प्रस्ताव या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है ।

127– किसी सहकारी समिति को कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु ऋण वितरण का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने का निबन्धक का अधिकार :–

निबन्धक, बैंकिंग का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति या समितियों को कृषि एवं ग्राम्य विकास एवं सम्बद्ध क्रियाओं हेतु (जैसा अध्याय 16 में दिया हुआ है) ऋण वितरण का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा ।

128– नियम बनाने का अधिकार –

(1) राज्य सरकार , इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतया और उपधारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियमों से निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्याख्या की जा सकती है :—

1— प्रार्थी जिसको, और रीति जिसके अनुसार, सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करने का आदेश निबन्धक द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सूचित किया जाये :

2— विषय जिनके सम्बन्ध में सहकारी समिति उपविधियां बनायेंगी या बना सकती हैं :

3— सहकारी समिति के दायित्व के स्वरूप तथा मात्रा में परिवर्तन की प्रक्रिया तथा शर्तेः

4— सहकारी समिति द्वारा उपविधियों के संशोधन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

5— प्रबन्ध कमेटियों का संघटन :

6— सहकारी समिति द्वारा ऐसी दूसरी सहकारी समिति की बैठक में, जिसकी वह सदस्य हो, उसका प्रतिनिधित्व करने तथा उसकी ओर से मत देने के लिए एक या अधिक सदस्यों की नियुक्ति :

7— साधारण सदस्यों के अधिकार और दायित्व तथा किसी ऐसी सहकारी समिति के जिसमें अन्य सहकारी समितियां भी उसकी सदस्य हों, सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी के संघटन में ऐसे सदस्यों का, जो व्यक्ति विशेष हों और अन्य सदस्यों का अनुपात :

8— यदि अंश एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो मतदान करने का अधिकार :

9— किसी सदस्य द्वारा उस व्यक्ति को नाम—निर्देशन की प्रक्रिया जिसे ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर उसका अंश या हित संक्रमित किया जा सके या उसके मूल्य का भुगतान किया जा सके :

10—रीति जिसके अनुसार मृत या भूतपूर्व सदस्य के अंश का मूल्य निश्चित किया जायेगा और उसका भुगतान :

11— किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों और सभापति और उपसभापति का निर्वाचन, जिसमें क्षेत्रों का परिसीमन, महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण, निर्वाचन, विवादों का निपटारा और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में शुल्क का उद्ग्रहण भी सम्मिलित हैः

11(अ)— सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों को नामित करना ;

12— सहकारी समिति की सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाना और ऐसी बैठकों की गणपूर्ति तथा प्रक्रिया :

13— कमेटी को या निबन्धक द्वारा अवक्रान्त निलम्बित प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर नियुक्त प्रशासक अथवा प्रशासकों को देय पारिश्रमिक :

14— सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए अर्हताएं या अनर्हताएं :

15— सहकारी समिति के अधिकारियों का समिति के साथ संविदा में हितबद्ध होने पर निर्बन्धन,

16— सहकारी समितियों में राज्य सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागिता से सम्बद्ध विषय ,

17— लाभांश और बोनस के भुगतान प्रयोजनार्थ शुद्ध लाभ में से बांटने से योग्य लाभ का अवधारण तथा समिति की निधियों का प्रदर्शन ,

18— सहकारी विकास निधि की स्थापना तथा नियन्त्रण सहकारी समिति द्वारा अपने शुद्ध लाभ ;छमज च्तवपिजद्ध से निधि में किया जाने वाला भुगतान और निधि के विनियोजन तथा उनके निस्तारण की रीति,

19— सहकारी समिति की निधियों के विनियोजन की और अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना तथा उसके विनियोजन की रीति तथा शर्ते ,

20— सहकारी समिति की रक्षित तथा अन्य निधियों का उद्‌देश्य उनका उपयोग और उनके विनियोजन की रीति,

21— सहकारी समिति के समापन होने पर उसकी रक्षित निधि तथा अतिरिक्त निधि ";नतचसने थ्नदकद्ध के निस्तारण की रीति ,

22— सीमा तथा शर्ते जिसके अधीन रहते हुए सहकारी समिति निक्षेप ;क्मचवेपजद्ध और ऋण प्राप्त कर सकती है ,

23— सहकारी समिति द्वारा असदस्यों ;छवद उमउइमतेद्ध के साथ व्यवहार करने पर निर्बन्धन,

24— सहकारी समिति द्वारा ऋण देने पर निर्बन्धन,

25— निक्षेप प्राप्त करने तथा नकद उधार देने वाली सहकारी समितियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले अस्थिर साधनों ;थ्सनपक तमेवनतबमेद्ध का स्वरूप तथा मानक ,

26— लेखा परीक्षा का संचालन तथा सहकारी समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क का उदग्रहण,

27— इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यवाहियों में, जिनके अर्न्तगत निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के समक्ष अथवा न्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों के समक्ष अपील और पुनर्विलोकन ग्रहण करने तथा उसका निस्तारण करने की कार्यवाहियां हैं, अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया ,

28— इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में लिये जाने वाले शुल्क तथा व्यय ,

29— शर्ते जिनके अधीन रहते हुए सहकारी समिति की परिसम्पत्तियां परिसमापक में निहित होंगी तथा सहकारी समिति के समापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ,

30— सहकारी समिति को प्राप्त या देय धनराशि की वसूली प्रक्रिया ,

31– निर्णय के पूर्व कुर्की करने की रीति और इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया ,

32– न्यायाधिकरण के सदस्यों की अहर्ताएं ,

33– सहकारी समिति का पता, निबन्धित करने की रीति ,

34– सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली लेखा बहियां तथा रजिस्टर और लेखा बहियों तथा रजिस्टरों में यथाविधि प्रविष्टियां किये जाने के लिए निर्देश देने का , निबन्धक का अधिकार ,

35– कार्य के दौरान में सहकारी समिति द्वारा रखी गई बहियों में की गई प्रविष्टियों की और लेखों की प्रतिलिपियों के प्रमाणीकरण की रीति,

36– सहकारी समितियों द्वारा निबन्धक को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण पत्र, प्रतिवेदन और विवरणियां ,

37– इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में वकील के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्ति पर निर्बन्धन ,

38–लेख्यों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिए शुल्क का उद्ग्रहण ,

39– बैंक द्वारा सहकारी समितियों से लिये जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर ,

40– सहकारी समितियों से वसूल किये जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्कों की अधिकतम दर,

41– अवैतनिक आयोजकों तथा अवैतनिक प्रबन्धकों के कर्तव्य तथा कृत्य और उनकी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों को भत्ते तथा मानदेय का भुगतान ,

42– अधिनियम तथा नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिए, अपेक्षित किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने की रीति ,और

43– कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय अथवा जो नियत किये जाने के लिए अपेक्षित हो ।

129– वर्तमान समितियों तथा उनकी उपविधियों के सम्बन्ध में उपबन्ध –

(1) प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में , जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक को विद्यमान हो तथा जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अथवा उत्तरांचल राज्य में प्रचलित सहकारी समिति विषयक किसी अन्य विधि के अधीन निबन्धित हो, यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निबन्धित है तथा उसकी उपविधियां जहां तक वह इस अधिनियम (या इसके अधीन बनाये नियमों) के व्यक्त उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रचलित रहेंगी जब तक कि उन्हें (इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार) परिवर्तित या विखण्डित न कर दिया जाय,

(2) कोई सहकारी समिति जिस पर उपधारा (1) प्रवृत्त होती है और जो धारा 77 की अपेक्षाओं के अनुसार हो, अध्याय 11 के प्रयोजनों के लिए सहकारी कृषि समिति समझी जायगी,

(3) उपधारा (1) के अर्न्तगत आने वाली प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उन उपविधियों को इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों में असंगत हो, निकाल देगी या संशोधित कर देगी और इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखकर ऐसी और उपविधियां बनायेंगी जो आवश्यक हों ,

(4) किसी सहकारी समिति की ओर से उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित कार्य न किये जाने पर निबन्धक समिति की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, जिसके अर्न्त्रगत उसमें से उपविधियों का निकाला जाना और उसमें उपविधियों का बढ़ाया जाना भी है ,

(5) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा निबन्धक, कारणों को अभिलिखित करके, किसी सहकारी समिति या, सहकारी समिति के किसी वर्ग को दे ,अपनी सदस्यता का समायोजन इस अधिनियम के अधीन सदस्यों के वर्गीकरण के अनुसार करेगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान सदस्यों के सम्बन्ध में जिसका समायोजन किसी प्रकार की सदस्यता में नहीं किया जा सकता, एक वर्ष की अवधि या बढ़ायी गई अवधि, यदि कोई हो, के व्यतीत होने पर यह समझा जायेगा कि उसने समिति की सदस्यता छोड़ दी है और उसके वही अधिकार तथा दायित्व होंगे मानो उसने इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व सदस्यता छोड़ दी हो।

(6) यदि सहकारी समिति उपधारा (5) में निर्दिष्ट सदस्यता का समायोजन करने में चूक करे तो निबन्धक समायोजन कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि वर्तमान सदस्यों में से किन सदस्यों के सम्बन्ध में , यदि कोई हो, यह समझा जायेगा कि उसने उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन अपनी सदस्यता छोड़ दी है ।

(7) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपनी प्रबन्ध कमेटी संघटित करेगी और उसके ऐसा न करने पर निबन्धक, नियत रीति से कमेटी संघटित करेगा ।

(8) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या उसकी प्रबन्ध कमेटी का कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध न होगी अथवा उस पर न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी कि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सदस्यता समायोजन या प्रबन्ध कमेटी के पुनः संघटन

के समय तक समिति की सदस्यता या उसकी प्रबन्ध कमेटी का संघठन इस अधिनियम या नियमों के उपबन्धों से असंगत था ।

130— वर्तमान समितियों के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध —

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम , 1965 के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किये गये किसी वाद, अन्य कार्यवाही, जांच या निरीक्षण के सम्बन्ध में, जहां तक सम्भव हो, यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किया गया है और तदनुसार जारी रखा जा सकता है ।

(2) जिसे ऐसे अधिकार, कृत्य या कर्तव्य का प्रयोग, संपादन या निर्वहन इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो जो उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन उस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्राधिकारी से भिन्न हो, उस समय तक, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी का संघटन या उसकी नियुक्ति न हो जाय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा जो अब तक उक्त अधिकार, कृत्य या कर्तव्यों का प्रयोग सम्पादन अथवा निर्वहन करता रहा हो और निबन्धक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के शीघ्र संघटन या नियुक्ति के लिए नियत रीति से कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

131— कठिनाइयों के निवारण का अधिकार —

(1) राज्य सरकार समय समय अधिसूचना द्वारा, ऐसे अनुषांगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उपबन्धों के नियमों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र, राज्य मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

132— निरसन संशोधन तथा अधिनियमितियों का अन्वय लगाना —

(1) उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 एतद्द्वारा निष्प्रभावी किया जाता है ।। उत्तर प्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट,1904 (यू0पी0एक्ट संख्या 1, वर्ष 1904) की धारा 6 तथा 24 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के निरसन पर प्रवृत्त होगे।

(2)उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के प्रति अभिदेश जो किसी ऐसी अधिनियमिति में आये हों जिसे भारत के किसी प्राधिकारी ने बनाया हो और जो तत्समय उत्तरांचल राज्य में

प्रचलित हो, उक्त राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के संगत उपबन्धों के अभिदेश समझे जायेंगे ।

अध्याय–16

कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु अवधि ऋण

133. कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु अवधि ऋण का वितरणः–

यह अध्याय ग्राम्य विकास उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु वितरित किये जाने वाले अवधि ऋणों के वितरण पर लागू होगा।

स्पष्टीकरणः–

वाक्यांश 'कृषि एवं ग्राम्य विकास' का अर्थ कृषि एवं विकास सम्बन्धी किसी कार्य निर्माण अथवा क्रिया से है जिसके अन्तर्गत निम्न सम्मिलित होंगेः–

(1) कुंओं और ट्यूब वेलों का निर्माण।

(2) आयल इंजन, पम्पसेट एवं इलैक्ट्रिक मोटर सहित मशीनरी की स्थापना।

(3) पावर टिलर्स एवं ट्रैक्टर्स की खरीद।

(4) पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग जैसे– दूध देने वाले जानवरों का कय, शंकर प्रजनित बछिया पालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर तथा कुक्कुट पालन एवं बैलों की खरीद, अंगोरा खरगोश, यातायात, पर्यटन, जड़ी–बूटी संकलन, कृषिकरण।

(5) उद्यानीकरण।

(6) वनीकरण।

(7) मछली पालन सहित मत्स्य पालन एवं उससे सम्बन्धित एवं सहायक सभी क्रियाओं समेत।

(8) रेशम विकास।

(9) बायोगैस प्लान्ट्स।

(10) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना।

(11) ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन–निर्माण।

(12) अन्य ऐसे प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा कृषि एवं ग्राम्य विकास प्रयोजन घोषित करे।

(13) कृषि एवं ग्राम्य विकास की सभी नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट) द्वारा अनुज्ञात एंव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्या किया–कलाप।

134. कृषि एवं ग्राम्य विकास ऋण वितरण की कार्यविधि, सीमा तथा प्रतिभूतिः–
कृषि एवं ग्राम्य विकास ऋण वितरण की सीमा, कार्यविधि, इस अध्याय के अन्तर्गत ऐसी होगी जैसा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा धारा–135 उल्लिखित न्यासधारी के परामर्श से समय–समय पर निर्दिष्ट की जाय। ऋणों का वितरण अचल सम्पत्ति के बंधक अथवा प्रभार या चल सम्पत्ति के दृष्टिबधक अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूति पर किया जाएगा।

135. न्यासधारी की नियुक्तिः–
निबन्धक सहकारी समितियां या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी ऋण–पत्र धारियों के प्रति उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा जारी ऋण–पत्रों के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यासधारी होगा।

136. न्यासधारी के अधिकार एवं कृत्यः–

न्यासधारी के अधिकार और कृत्य इस अध्याय के उपबन्धों तथा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक न्यासधारी के मध्य निष्पादित न्यास संलेख द्वारा, जैसा कि वह उनके मध्य परस्पर अनुबन्ध द्वारा और राज्य सरकार के अनुमोदन से समय–समय पर परिष्कृत या प्रतिस्थापित हो, शासित होंगे।

137. न्यासधारी एक एकल निगम होगाः—

धारा—135 के अधीन नियुक्त न्यासधारी के नाम से एक एकल निगम होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और एक सामान्य मुहर होगी। वह अपने निगमित नाम से उसके विरूद्ध वाद चलायेगा और उसी नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जाएगा।

138. ऋण—पत्रों का जारी किया जानाः—

1 राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक समय—समय पर, मूलधन का पूरा प्रतिदान करने और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति पर अंशतः धृत और अंशतः अर्जित किये जाने वाले बन्धक, प्रभार या दृष्टि बन्धक की अन्य सम्पत्तियों की, प्रतिभूमि पर एक या अधिक अभिधानों के ऋण—पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जिसे दृष्टकर समझे, जारी कर सकता है।

2 ऐसे ऋण पत्रों में ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिसकें जारी किए जाने के दिनांक से बीस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि निश्चित की जाए जिसमें बैंक के लिए यह अधिकार रक्षित रखा जाय कि वह सम्बन्धित ऋण—पत्र धारी को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देने के पश्चात किसी ऋण—पत्र को उनके विमोचन के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रत्याहूत कर ले।

3 उपधारा (1) के अधीन बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों पर देय धनराशि कुल मिलाकर निम्नलिखित धनराशि के योग से अधिक न होंगीः—

(क) बन्धक या प्रभार या दृष्टिबन्धक पर देय धनराशियों और उत्तराचल राज्य सहकारी बैंक की अन्य परिसम्पतियों का मूल्य।

(ख) ऋण—पत्र मोचन—निधि में संचयन,

(ग) हस्तस्थ रोकड़ और बैंको में अतिशेष और सामान्य निधियों के अधीन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य बाजार मूल्य, जो भी कम हो और,

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित धनराशि का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय।

139. न्यासधारी में सम्पत्ति का निहीत किया जाना और परिसम्पतियों पर ऋण—पत्र धारियों का प्रभारः—

धारा 138 के अधीन ऋण—पत्र जारी होने पर, राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अधीन फायदा और उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट और बैंक द्वारा धृत बंधक ग्रस्त सम्पत्तियां और अन्य परिसम्पत्तियां न्यासधारी में निहित होगी और ऋण पत्रधारी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के फायदे

के हकदार होंगे और उनका ऐसे समस्त बन्धकों और परिसम्पतियों और ऐसी प्रत्याभूति या बंधकों के अधीन भुगतान की गई और उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक या न्यासधारी के पास शेष धनराशियों पर चल प्रभार होगा।

140. ऋण—पत्रों का मूलधन और उनका ब्याज राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होनाः—

(1) धारा 138 के अधीन जारी किये गये ऋण—पत्रों का मूलधन तथा उनका ब्याज ऐसी अधिकतम धनराशि तक जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियत की जाय, तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें आरोपित करना उचित समझे, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा।
(2) राज्य सरकार ऐसी भार्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है।

141. सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेना —
राज्य सरकार के होते हुए भी, बैंक राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार या नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट या ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से जैसा न्यासधारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, धन उधार ले सकती है।

142. कुछ दावों पर बन्धक की पूर्वताः—

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भी बन्धक या सृजित किसी भी प्रभार को किसी ऐसे ऋण से, जो उक्त बन्धक के निष्पादन या प्रभार के सृजन के पश्चात दिया गया हो, उत्पन्न सरकारी दावे पर पूर्वता प्राप्त होगी।

143. उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक का बन्धकग्रस्त सम्पत्ति कय करने का अधिकारः—

1 तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुऐ भी उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए अधिनियम के अधीन बेची गयी किसी सम्पत्ति को कय करना विधि पूर्ण होगा, और ऐसा बैंक इस प्रकार कय की गयी सम्पत्ति का ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाय, विकय करके निस्तारण करेगा।
2 तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि में दी गई कोई भी बात जिसमें कृषि जोत या अन्य अचल सम्पत्ति की अधिकतम सीमा नियत की गई हो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपधारा (1) के अधीन भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति के अर्जन पर प्रवृत्त न होगी।
(2) क. यदि बैंक की उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसके विकय होने तक पट्टे पर देना हो तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी पट्टेदार उस सम्पत्ति में कोई अन्य हित अर्जित नहीं करेगा।

144. विक्रय के अधिकार का प्रयोग कब किया जायेगाः—

(1) ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1882 (एक्ट संख्या 4, वर्ष 1882) में किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात की गयी प्रभार की घोषणा या निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को स्पष्ट रूप में प्रदान किया गया हो तो ऐसे बैंक की प्रबन्ध समिति को अथवा ऐसी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बन्धक या प्रभार के अधीन बकाया धन या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में उक्त बैंक को उपलभ्य किसी अन्य प्रत्युत्पाय के अतिरिक्त बन्धक ग्रस्त या प्रभारित सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) एक लिखत नोटिस जिसमें ऐसे बन्धक धन या उसके अंश के भुगतान की अपेक्षा की गई हो, निम्नलिखित पर तामिल न कर दिया गया हो—

(प) बन्धक कर्ता या बन्धक कर्ताओं मे से प्रत्येक।

(पप) कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बैंक की जानकारी में बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके उन्मोचन के अधिकार में कोई हित हो अथवा उस पर कोई प्रभार हो।

(पपप) बन्धक—ऋण या उसके किसी अंश के भुगतान के लिए कोई प्रतिभूति तथा,

(पअ) बन्धककर्ता का कोई ऋणदाता जिससे अपनी सम्पदा के प्रशासन से सम्बन्धित किसी वाद में बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली हो।

(ख) ऐसी तामिल से तीन महीने के पश्चात उक्त बन्धक धन अथवा उसके अंश के भुगतान में चूक न की गयी हो, और

(ग) बैंक के खण्ड (क) में उल्लिखित बन्धक कर्ता या अन्य किन्ही व्यक्तियों की आपत्तियों को यदि कोई हो, सुनने के पश्चात ऐसे अधिकार के प्रयोग को प्राधिकृत न कर दिया हो।

(3) इस धारा के अधीन विक्रय ऐसी रीति से किया जायेगा जो नियत की जाये।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन बेची गई कोई सम्पत्ति बन्धक या प्रभार करने वाले व्यक्ति के या उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक के पक्ष में ऐसे बन्धक रखे जाने के या प्रभार सृजन के पश्चात् से हक या दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो तो कलेक्टर क्रेता के प्रार्थना—पत्र पर ऐसे क्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को सम्पत्ति पर अध्यासित कराकर कब्जा दिये जाने का आदेश देगा।

(5) इस धारा के अधीन कृषि जोत या अन्य अचल सम्पत्ति उसमें किसी हित का विक्रय उत्तरांचल में तत्समय प्रचलित भूमि अधिनियम के अधीन होगा।

145. बन्धकग्रस्त सम्पत्ति नष्ट होने अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त होने पर उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक के अधिकारः—

यदि उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पास बन्धक रखी गई कोई सम्पत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः नष्ट हो जाती है अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय और बन्धक कर्ता को उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस बात का समुचित अवसर दिये जाने के बाद व इतनी और प्रतिभूति की व्यवस्था करें कि प्रतिभूति पर्याप्त हो जाये या वह ऋण के उतने अंश का प्रतिदान करें जो बैंक अवधारित करे, वह उक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न करे या ऋण के उक्त भाग का प्रतिदान न करे तो सम्पूर्ण ऋण तुरन्त देय समझा जायेगा, और बैंक बन्धक कर्ता के विरूद्व इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करने की हकदार हो जायेगी।

स्पष्टीकरणः—

इस धारा के अर्थ में प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त मानी जायेगी जब तक बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य बन्धक के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि से उस अनुपात में अधिक न हो जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के विनियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाय।

146. अनियमितता आदि के आधार पर केता के आगम पर आपत्ति नहीं की जायेगीः—

यदि धारा 144 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग करके कोई सम्पत्ति बेची जाय तो केता के आगम पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी किः—

(क) विक्रय का अधिकार देने के लिए अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अथवा

(ख) विक्रय का यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था, अथवा

(ग) विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था, किन्तु किसी व्यक्ति की जिसे किसी ऐसे अधिकार के अनाधिकृत अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से कोई क्षति पंहुची हो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के विरूद्व क्षति मूल्य का दावा करने का अधिकार होगा।

147. बन्धककर्ता के ऋण शोधाक्षम हो जाने के आधार निष्पादित बन्धक पर आपत्ति नहीं की जायेगीः—

ऋण शोध क्षमता से सम्बन्धित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक पर इस आधार इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह

मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावना से निष्पादित नहीं किया गया था या कि वह बन्धक कर्ता के अन्य ऋण दाताओं पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को अधिमान देने के लिए निष्पादित किया गया था।

148. प्रापक की नियुक्ति तथा उसके अधिकारः—

1— बैंक स्वतः उन परिस्थितियों में जिनमें धारा 144 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के लिए लिखित रूप में एक प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा प्रापक, सम्पत्ति पर कब्जा करके और उसकी उपज तथा आय को संग्रहीत करके अपने द्वारा वसूल किये गये धन से अपना प्रबन्ध व्यय, जिसमें उसका बैंक द्वारा निश्चित किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सम्मिलित है— काट लेने और अवशिष्ट धनराशि को ट्रांन्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट 1882 की धारा 69—ए की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार जहां तक वे लागू हों, उपयोग करने का हकदार होगा।

2—बैंक स्वतः अथवा बन्धक कर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर उप धारा (1) के अधीन नियुक्ति प्रापक को हटा सकती है।

3— प्रापक के पक्ष में हुई रिक्त की पूर्ति मण्डल द्वारा की जा सकती है।

4— इस धारा के किसी बात से बैंक को उस दशा में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार न होगा जब बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति पहले से ही दीवानी न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक कब्जे में हो।

149. अनन्तरणीय अधिकार वाले कृषकों को अन्तरणीय अधिकार निहित करनाः—

राज्य सरकार उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, समस्त भूमिधरों को, और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन घृत भूमि में, या ऐसी भूमि में किसी हित में, अन्तरण के अधिकार जिसमें ऐसी भूमि या हित के सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक करने का अधिकार सम्मिलित है, निहित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर ऐसे भूमिधर और सरकारी पट्टेदार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, ग्रांट या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के या रूढ़ी या परम्परा के होते हुए भी अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार अन्तरण का अधिकार होगा।

149. (क) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजनः—

(1) कोई व्यक्ति जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से अपनी चल सम्पत्ति की गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो सम्यक रूप से स्टाम्पित पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा ऐसे बैंक में ऐसी सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक पर रख सकता है।

(2) जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मूल्य की सम्पत्ति न हो, तब ऐसे बैंक द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जैसी नियत की जाय बैंक के संतोषानुसार (जामेनदार) प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन लिए गय प्रभारों और रखे गये बन्धकों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन दृष्टि बन्धक रखे गये चल सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।

150. बन्धकग्रस्त एवं प्रभारित सम्पत्ति को पट्टे पर देने या उस पर अन्य अधिकार सृजित करने के बन्धककारित अधिकारः—

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में कोई प्रभार, दृष्टिबन्धक या बन्धक किया गया हो, प्रभार, दृष्टिबन्धक या बन्धक कर्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके द्वारा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से लिए गये ऋण या अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो, और इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य द्वारा उधार ली गई धनराशि के किसी भाग का भुगतान कर दिया जाय, तो उस सदस्य के प्रार्थना–पत्र पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक सम्पत्ति या उसमें हित के ऐसे भाग को, जिसे वह उचित समझे, बैंक के पक्ष में सृजित या किये गये बन्धक प्रभार या दृष्टि बन्धक सदस्य द्वारा देय शेष धनराशि की सुरक्षा का सम्यक ध्यान में रखते हुए निर्मुक्त कर सकता है।

151. बैंक के पक्ष में निष्पादित लेख्यों का रजिस्ट्रीकरणः—

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात को होते हुये भी किसी उधारकर्ता द्वारा ऋण का प्रतिदान सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भूमि या उसमें किसी हित या अन्य अचल सम्पत्ति पर प्रभार या बन्धक सृजित करने वाले विलेख को उसके निष्पादन दिनांक से उक्त अधिनियम के

अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा, बशर्त, बैंक निष्पादन के दिनांक से तीन मास का अवधि के भीतर उस लक्ष्य की जिसके द्वारा ऐसा प्रभार या बन्धन सृजित किया गया हो, एक प्राते जो बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रति प्रमाणित की गयी हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राप्ति स्वीकार की रसीद के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के साथ उस उप–रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई हो, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रभारित या बन्धक रखी गई, सम्पूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और सम्बद्ध उप–राजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसी प्रति या प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा– 51 के अधीन विहित पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करेगा।

(2) जहां उप–रजिस्ट्रार की राय हो कि उक्त लेख्य पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगाया गया है या उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न त्रृटि की गई है, यहां लेख्य की, यथास्थिति, प्रति या प्रतियां बैंक को वापस भेजकर उससे यह उपेक्षा करेगा कि वह तीस दिन या ऐसी बढ़ाई अवधि के भीतर जिसकी अनुमति उप–रजिस्ट्रार उस निमित्त दे, मूल प्रति पर स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करे या त्रृटि को दूर करे। बैंक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में किसी बात के होते हुए भी, कमी को पूरा करायेगा या त्रृटि को दूर करायेगा।

(3) बैंक, यथास्थिति, स्टाम्प शुल्क की कमी पूरी होने या त्रृटि दूर होने के पश्चात् लेख्य की प्रति उपधारा (1) में निर्धारित रीति से उप–रजिस्ट्रार के पास पुनः भेजेगा, और तदुपरान्त उप–रजिस्ट्रार उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार पुस्तक संख्या–1 में उस प्रति की नत्थी करेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, उधारकर्ता सदस्य, न्यासधारी या उत्तरांचल राजय सहकारी बैंक द्वारा किसी ऐसे संलेख के जिसका निष्पादन उसके अधिकारिक रूप में किया हो, रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो या उक्त अधिनियम की धारा– 58 में किये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करें।

152. प्रभार या बन्धक अंकित करने के लिए राजस्व रजिस्ट्रर :–

जहां प्रभार या बन्धक का सृजन करने वाले लेख्य की प्रति धारा–151 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दी गई हो यहां बैंक ऐसे लेख्य की एक प्रति तहसीलदार या ऐसे अन्य पदाधारी के भी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाये, भेजेगा। तहसीलदार या अन्य पदाधिकारी ऐसे प्रभार रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में होगा और उसका निरीक्षण करने की अनुमति और उसका प्रतयां या उसके उद्धरण ऐसी रीति से और ऐसा शुल्क देने पर दिये जायेंगे जा नियत किये जायें।

153. ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी, ऐक्ट 1882 की धारा 102, 103 और 104 का इस अध्याय के अधीन नोटिस पर लागू होनाः—

ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी, ऐक्ट, 1882 की धारा 102 और 103 के तथा उक्त धाराओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उक्त ऐक्ट की धारा 104 के अधीन उच्च्व न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों के उपबन्ध, इस अध्याय के अधीन तामील किये जाने वाले सभी नोटिसों पर यथाशक्य, प्रवृत्त होंगे।

154. संयुक्त हिन्दू परिवारों के प्रबन्धक द्वार निष्पादित बन्धकः—

(1) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बंधक पर नहीं वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निष्पादित किया गया हो या बाद में, कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया था जो उस परिवार के वयस्क या अवयस्क सदस्यों पर बन्धनकारी नहीं था, तो इसे सिद्ध करने का भार, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गई बात के होते हुये भी, उस पक्ष पर होगा, जो उस बन्धक पर आपत्ति करें।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे।

(क) कृषि धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होगें।

(ख) भूमि का क्रय,

(ग) परिवार के लिए ग्रामीण निवास गृहों का निर्माण।

155. परिष्कार जिसके अधीन रहते हुए माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, 1956 की धारा 8 इस अध्याय के अधीन बंधकों पर लागू होगीः—

हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, 1956 की धारा 8 उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में किये गये बंधकों पर इस परिष्कार के अधीन रहते हुए प्रवृत्त होगी कि उसमें न्यायालय को किया गया अभिदेश कलेक्टर या उसको किया गया अभिदेश समझा जायेगा और कलेक्टर या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के अधीन के विरूद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जायेगी।

156. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को किया गया अभिदेश समझा जायेगाः—

किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा।

157. उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी का विनियम बनाने का अधिकारः– उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी न्यासधारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक नियमों एवं उपविधियों के उपबन्धों से असंगत न हो और जिनमें निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था की गई होः–

(क) ऋण–पत्रों की अवधि तथा उन पर देय ब्याज की दर निश्चित करना,

(ख) ऋण–पत्रधारियों को नोटिस देने के पश्चात् ऋण पत्रों का प्रत्याहरण,

(ग) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट ऋण–पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण.पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हो,

(घ) एक वर्ग के ऋण–पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण–पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हो,

(ङ) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के वही–खातों तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण,

(च) ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई संपत्तियों का मूल्यांकन,

(छ) बन्धक कर्ताओं से वसूल की गई धनराशियों का विनियोजन तथा,

(ज) सामान्यतया कोई ऐसा अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में प्रबन्ध कमेटी समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, उपबन्ध बनाये जाने चाहिएः–

प्रतिबन्ध यह है कि धारा–157 के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होगे।

158. नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकारः–

(1) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशन के पश्चात् सामान्यतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है जिसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस नियत करने को कोई नियम भी है।

(2) विशेषतया तथा उप–धारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है–

(क) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को बन्धक रखी गई भूमि की उपज अभिहरण करने तथा उसके विक्रय की प्रक्रिया,

(ख) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को बन्धक रखी गई संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया,

(ग) बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण.पत्रों की सीमा अवधारित करने के लिए धारा 136 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिशत निश्चित करना,

(घ) वे शर्त, निर्धारित करना जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ायी, समाप्त, कम या परिष्कृत की जा सकती है।

(ङ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो अथवा जो नियत किया गया।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य, राज्य विधान सभा के समक्ष जब उसका सत्र हो, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

159. न्यासधारी व अन्य लोक सेवक होंगे :–

न्यायधारी निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा सम्पत्ति के अभिग्रहण न विकय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति धारा 148 के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

160. लोकसेवक विक्रय पर बोली नहीं लगायेगाः–

धारा–159 के अन्तर्गत वर्णित लोक सेवक इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी विक्रीत चल या अचल संपत्ति की नीलामी में बोली अथवा क्रय नहीं करेगा।

161. कतिपय हानियों को पूर्ण करने हेतु प्रत्याभूमि निधियांः–

(1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों एवं प्रति बन्धों पर जिन्हें वह उचित समझें प्रत्याभूति निधि अथवा एक से अधिक प्रत्याभूति, निधियां उन, हानियों को पूरा करने के लिए स्थापित कर सकती है जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा अचल संपत्ति के आगम (ज्पजसम) पर दिये ऋण, जो आगे दोषपूर्ण पाये जाते हैं, के फलस्वरूप हो जाती है, या इस अध्याय में किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक है कि एक अलग प्रत्याभूति निधि का प्राविधान किया जाय।

(2) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक ऐसी निधियों में ऐसी दर पर अंशदान, देगी जो नियत की जायें तथा ऐसी निधियों का विधान, अनुरक्षण एवं उपयोग ऐसे नियमों से परिचालित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाएं।

आज्ञा से,

भरोसी लाल
सचिव,